इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2011—भाद्र 18, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. ई-1-271-2011-5-एक.—श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, भोपाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-269-2011-5-एक.—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2009 बैच के सीधी भरती के नीचे दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, खाना (3) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना	प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री तरूण कुमार पिथौड़े, सहायक कलेक्टर, उज्जैन.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा, जिला ग्वालियर.
2	श्री अविनाश लवानिया, सहायक कलेक्टर, नरसिंहपुर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महू, जिला इन्दौर.
3.	सुश्री प्रियंका दास, सहायक कलेक्टर, जबलपुर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

(1)	(2)	(3)
4.	श्री अभिषेक सिंह, सहायक कलेक्टर, छिन्दवाड़ा.	अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) सबलगढ़, जिला मुरैना.
5.	श्री तेजस्वी एस. नायक, सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद.	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कटनी, जिला कटनी.
6.	श्री अमित तोमर, सहायक कलेक्टर, जबलपुर.	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सीहोरा, जिला जबलपुर.

(2) धनराजू एस. भाप्रसे (2009), सहायक कलेक्टर, भोपाल को, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इटारसी, जिला होशंगाबाद पदस्थ किया जाता है.

(3) लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2009 बैच के सीधी भरती के नीचे खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना (2)	प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना (3)
1	सुश्री सूफिया फारूखी, सहायक कलेक्टर, इन्दौर.	सहायक कलेक्टर, सिंगरौली
2.	श्री अजय गुप्ता, सहायक कलेक्टर, शहडोल.	सहायक कलेक्टर, भोपाल
3.	श्री श्रीकांत बनोठ, सहायक कलेक्टर, धार.	सहायक कलेक्टर, इन्दौर

(4) सुश्री प्रीति मैथिल, भाप्रसे (2009), सहायक कलेक्टर, सागर एवं श्री इलैया राजा टी. भाप्रसे (2009), सहायक कलेक्टर, सिवनी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर यथास्थान पदस्थ रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. ई-5-811-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री एस. एस. बंसल, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन को दिनांक 25 अगस्त से दिनांक 3 सितम्बर 2011 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. बंसल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) उज्जैन संभाग, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बंसल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बंसल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. ई-5-464-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन), विभाग को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 एवं 20, 21, 22 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री जयदीप गोविन्द की अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र कुमार कथुरिया, राप्रसे, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविन्द को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जयदीप गोविन्द द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुरेन्द्र कुमार कथुरिया, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविन्द को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7) श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस., द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के कारण इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2011 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-702-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री प्रदीप खरे, आयएएस., कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20, 21, 22 एवं 28 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश की अवधि में श्री टी. धार्माराव, आयएएस., कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री टी. धार्माराव, कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., कलेक्टर जिला डिण्डौरी को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21, 22 एवं 28 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरौलिया, अपर कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरौलिया, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. ई-5-328-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. परशुराम, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सहकारिता, पशुपालन मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-409-आयएएस-लीव-एक-पांच.—(1) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल को दिनांक 18 से 25 अगस्त 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-425-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएएस, प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 27 मई से 30 जून 2011 तक, 35 दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. ई-5-326-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. सिंघई आयएएस., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 26 से 30 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-694-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री रघुवीर श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा दिनांक 23 अगस्त से 5 सितम्बर 2011 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 एवं 22 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2)श्री रघुवीर श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री ओमेश मूंदड़ा, आयएएस, सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री रघुवीर श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ओमेश मूंदड़ा, आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2011 शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. ई-5-353-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 24 से 27 अगस्त 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री स्वदीप सिंह की अवकाश अवधि में श्री अशोक दास, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री स्वदीप सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक दास, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2011

क्र. ई-5-757-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) विमानन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-3-2009-पैंतालीस, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के अनुक्रम में श्री अरुण कोचर, आयएएस., आयुक्त आदिवासी विकास तथा संचालक, विमानन को दिनांक 3 से 4 सितम्बर 2011 तक दो दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अदिवासी विकास तथा संचालक, विमानन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरुण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरुण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. ई-5-406-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 18 मई 2011 का एक दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री डी. के. सामन्तरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. ई-5-375-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री जी. पी. सिंघल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2011 द्वारा दिनांक 6 से 16 अगस्त 2011 तक ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17 अगस्त 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2011 शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई-5-762-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 29 जुलाई से 6 अगस्त 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. अहिरवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.पी. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2011

क्र. डी-2-71-2002-6-एक.—श्री रमेश थेटे, भाप्रसे (म. प्र. 93) तत्का. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, जबलपुर मध्यप्रदेश को लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अपराध क्र. 46/2002 में, भारत सरकार की अभियोजन स्वीकृति उपरांत माननीय विशेष न्यायालय, भोपाल में दिनांक 18 फरवरी 2005 को चालान प्रस्तुत किये जाने पर श्री थेटे को दिनांक 23 फरवरी 2005 को अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 3(3) के अन्तर्गत निलंबित किया गया. उक्त प्रकरण क्र. 06/2005 में दिनांक 12 अप्रैल 2007 को पारित आदेश में श्री थेटे को दोषसिद्ध पाये जाने से ऊपर उल्लेखित नियमों के नियम 14(1) के अन्तर्गत भेजे गये राज्य सरकार के प्रस्ताव दिनांक 25 जुलाई 2007 के क्रम में भारत सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श उपरांत श्री थेटे को आदेश दिनांक 29 जनवरी 2008 से सेवा से बर्खास्त किया गया. बर्खास्ती के समय श्री थेटे वरिष्ठ वेतनमान में थे और निलंबनाधीन थे. श्री थेटे द्वारा मा. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर में दायर की गई क्रिमिनल अपील क्र. 865/07 में पारित निर्णय दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये दोषसिद्धि एवं दण्ड संबंधी निर्णय को अपास्त करते हुए श्री थेटे को दोषमुक्त करने और उक्त निर्णय के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. दिनांक 29 मार्च 2010 को अपास्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा श्री थेटे, भाप्रसे (म. प्र. 93) की सेवा से की गई बर्खास्तगी संबंधी आदेश दिनांक 29 जनवरी 2008 को तत्काल प्रभाव से वापस लिये जाने के आदेश दिनांक 2 मई 2011 द्वारा पारित किये गये.

(2) श्री थेटे की प्रथम निलंबन अवधि दिनांक 20 फरवरी 2002 से 25 जुलाई 2003 तथा द्वितीय निलंबन अवधि दिनांक 23 फरवरी 2005 से 29 जनवरी 2008 को सभी प्रयोजनों के लिये सेवा अवधि मान्य किये जाने के तथा तत्समय वे जिस वेतनमान में कार्यरत थे, उसी वेतनमान अनुसार संपूर्ण वेतन भत्तों का भुगतान जीवन निर्वाह भत्ते की राशि के समायोजन उपरांत किये जाने के आदेश दिनांक 17 जून 2011 द्वारा जारी किये गये हैं.

(3) श्री थेटे की बर्खास्तगी अवधि दिनांक 29 जनवरी 2008 से 2 मई 2011 के संबंध में भारत सरकार से यह मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि बर्खास्तगी के आधार उपरोक्त कंडिका-1 में अंकित अनुसार अब अस्तित्व में नहीं रहे हैं और भारत सरकार में बर्खास्तगी आदेश को वापस ले लिया है. अत: दिनांक 29 जनवरी 2008 से 2 मई 2011 तक की अवधि को श्री थेटे द्वारा सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जा सकता है और उनकी उक्त अवधि के वेतन/भत्तों का नियमन तद्नुसार किया जा सकता है. इस मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि श्री थेटे की उक्त बर्खास्तगी अवधि को सभी प्रयोजनों के लिये कर्तव्य अवधि मानी जाये.

(4) अत: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री थेटे की उक्त बर्खास्तगी अवधि दिनांक 29 जनवरी 2008 से 2 मई 2011 को अ.भा.से. (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 5(2) (i) के अन्तर्गत सभी प्रयोजनों के लिये कर्तव्य अवधि मान्य की जाती है.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. ई-5-607-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को दिनांक 18 से 30 जुलाई 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक"

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. ई-1-271-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रमेश एस. थेटे (1993), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग तथा पदेन उप पुनर्वास आयुक्त.	संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2	श्रीमती सूरज डामोर (1994), आयुक्त-सह-संचालक (फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर तथा सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	-
3	श्री राजेन्द्र सिंह उपसचिव, लोकायुक्त संगठन, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री राजेश बहुगुणा, विशेष सहायक, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश (मा. श्री दिग्विजय सिंह)	संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा प्रबंध संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि का अतिरिक्त प्रभार.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
5	श्री महेश चन्द्र चौधरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर.	आयुक्त, नगर निगम, उज्जैन.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
6	श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	–
7	श्री रविकांत जैन अपर कलेक्टर, ग्वालियर	अपर आयुक्त, आबकारी, ग्वालियर.	–

(2) श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे (1987), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्रीमती शिखा दुबे द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम एवं आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा तथा आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण केवल आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगी. श्रीमती रस्तोगी की मूल पदस्थापना आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर मानी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. ई-1-279-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अजय तिर्की (1987), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2	श्रीमती वीरा राणा (1988), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त.	–

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री संजय दुबे (1993), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.	संभागीय कमिश्नर

(2) उपरोक्तानुसार श्री संजय दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे (1997), कलेक्टर, इन्दौर एवं प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर **केवल** प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. बी-1-72-2011-2-एक.—राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक/ सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम (3) से कॉलम (4) में दर्शाए गए स्थान पर पदस्थ किया जाता है:—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम/बैच (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)	रिमार्क (5)
1	सुश्री आइरिन सिंथिया जे.पी., भाप्रसे (2008)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शुजालपुर, जिला शाजापुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल. (कनिष्ठ वेतनमान).	प्रशासकीय आधार पर.
2	सुश्री छवि भारद्वाज, भाप्रसे (2008)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटनी, जिला कटनी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह. (कनिष्ठ वेतनमान).	प्रशासकीय आधार पर.
3	श्री वी. किरण गोपाल, भाप्रसे (2008)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिपरिया, जिला होशंगाबाद.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट. (कनिष्ठ वेतनमान).	प्रशासकीय आधार पर.
4	श्री भरत यादव, भाप्रसे (2008)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई, जिला बैतूल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर. (कनिष्ठ वेतनमान)	प्रशासकीय आधार पर.
5	श्री सतेन्द्र सिंह, राप्रसे (1993)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह.	अपर कलेक्टर, ग्वालियर	प्रशासकीय आधार पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. एफ-2-6-2010-बारह-1.—खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि 650 वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र, जो कि मेसर्स रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा सागर तथा छतरपुर जिलों में पूर्व में धारित था, सर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र के अधीन हीरा तथा बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, चांदी, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों की सर्वेक्षण संक्रियाओं की स्वीकृति हेतु उपलब्ध रहेगा. सर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र के अधीन उक्त क्षेत्र का उक्त नियमों के नियम 7(1)(एक)(ख) के अनुसार त्याग कर दिया गया है. क्षेत्र के ब्यौरे निम्नानुसार है:—

बिन्दु	अक्षांश	देशान्तर
ए	24° 11' 59''	78° 44' 26''
बी	24° 12' 35''	78° 46' 41''
सी	24° 15' 57''	78° 54' 41''
डी	24° 17' 26''	78° 59' 19''
ई	24° 03' 56''	79° 14' 34''
एफ	24° 01' 33''	78° 59' 59''
जी	24° 05' 49''	78° 59' 34''
एच	24° 08' 39''	79° 01' 15''
आई	24° 10' 05''	79° 06' 32''
जे	24° 12' 15''	79° 04' 02''
के	24° 08' 59''	78° 54' 55''
एल	24° 03' 11''	78° 54' 33''
एम	24° 01' 59''	78° 50' 05''
एन	24° 04' 01''	78° 47' 48''
ओ	24° 07' 53''	78° 49' 59''
पी	24° 09' 06''	78° 45' 37''

उक्त क्षेत्र, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के पश्चात् 90 दिन तक पुनःस्वीकृति हेतु उपलब्ध रहेगा. उपर्युक्त क्षेत्र का रेखांक, इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, 29-ए अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. R 611-5-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 18 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal the 18th August 2011

No. F-2-6-2010-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (n) or clause (a) of sub-rule (1) of rule 59 of the Mineral Concession Rules, 1960 the State Government, hereby, declares that an area of 650 Km^2 shall be available for grant, which was previously held by M/s Rio Tinto Exploration India Private Limited in Sagar and Chattarpur Districts, for the reconnaissance operations of Diamond and precious minerals, Gold, Copper, Lead, Zinc, Silver, Bismuth and Cadmium minerals, under reconnaissance permit the said area of reconnaissance permit is relinquished in accordance with rule 7(1) (i) (b) of the said rules. Details of the area are as below:—

Pts	Latitude	Longitude
A	24° 11' 59"	78° 44' 26"
B	24° 12' 35"	78° 46' 41"
C	24° 15' 57"	78° 54' 41"
D	24° 17' 26"	78° 59' 19"
E	24° 03' 56"	79° 14' 34"
F	24° 01' 33"	78° 59' 59"
G	24° 05' 49"	78° 59' 34"
H	24° 08' 39"	79° 01' 15"
I	24° 10' 05"	79° 06' 32"
J	24° 12' 15"	79° 04' 02"
K	24° 08' 59"	78° 54' 55"
L	24° 03' 11"	78° 54' 33"
M	24° 01' 59"	78° 50' 05"
N	24° 04' 01"	78° 47' 48"
O	24° 07' 53"	78° 49' 59"
P	24° 09' 06"	78° 45' 37"

The said area shall be available for re-grant after 30 days from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette, till 90 days. The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. एफ-3-10-2010-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेस नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक, रतलाम विकास प्राधिकरण, रतलाम में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है:—

1.	श्री विष्णु त्रिपाठी	अध्यक्ष
2.	श्री ईश्वरलाल पाटीदार	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती आशारानी मौर्य	उपाध्यक्ष

(2) श्री विष्णु त्रिपाठी द्वारा रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कलेक्टर, रतलाम प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से स्वत: ही कार्यमुक्त हो जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्र. एफ-11-2-2011-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलाजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	मन्दसौर	भानपुरा	भानपुरा	श्रीमंत यशवंत राव होलकर प्रथम (1799-1811 ई.) की छत्री एवं बाहर परिसर में स्थित पुरानी छत्रियां एवं भवन.	571	0.454	देवी श्रीमती अहिल्या बाई होलकर चैरेटिज (खासगी) ट्रस्ट इन्दौर, मध्यप्रदेश.	नहीं

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. एफ-11-1-2008-तीस.—''मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964'' की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-1-2008-तीस, दिनांक 17 जुलाई 2008 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में, दिनांक 1 अगस्त 2008 को किया गया था.

राज्य शासन के उपर्युक्त आशय के विरुद्ध प्राप्त स्थानीय आपत्तियों का निराकरण जिला कलेक्टर, विदिशा द्वारा किया जा चुका है तथा कलेक्टर, विदिशा ने अपने पत्र क्रमांक क्यू-प्रवाचक-2011-6879, दिनांक 16 मई 2011 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने की अनुशंसा की है.

अतः राज्य शासन ''मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964'' (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) एवं धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, उक्त प्राचीन स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है.

राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1976के नियम 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा उक्त संरक्षित प्राचीन स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र	स्मारक का नाम	राजस्व स्तरीय क्षेत्र जो संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्र सीमांक	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	विदिशा	सिरोंज	मौलाजी का पहाड़ कस्बा सिरोंज	मौलाजी की इमारत	पटवारी हल्का नं. 4, खसरा नं. 142	0.228	शासकीय	हां.
मध्यप्रदेश	विदिशा	सिरोंज	रावजी की हवेली कस्बा सिरोंज	रावजी की हवेली	पटवारी हल्का नं. 4, खसरा नं. 25 व 27	नजूल शीट क्र. 13बी के भू-खण्ड क्र. 25 रकबा 4065 वर्गमीटर, शिक्षा वि. उद्यान एवं रावजी की हवेली, शिक्षा भवन मय उद्यान 4115 वर्गमीटर.	शासकीय	नहीं
मध्यप्रदेश	विदिशा	सिरोंज	गोपाल नगर	विष्णु मंदिर	पटवारी हल्का नं. 24, खसरा नं. 20	0.038	शासकीय	हां.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. एफ-2-30-07-बारह-2.—खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु, इन खनिजों पर आधारित प्रदेश में मूल्य परिवर्धन इकाई स्थापित करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र में आवेदन आमंत्रित करती है, अर्थात्:—

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जबलपुर	मझौली	ताला	108 भाग	13.26 हेक्टेयर

टिप्पणी.—1. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन, इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिन पश्चात् खनिज शाखा, कार्यालय कलक्टर, जिला जबलपुर द्वारा एक माह के भीतर प्राप्त किए जाएंगे.

2. क्षेत्र की संबंधित जानकारी खनिज शाखा, कार्यालय कलक्टर, जिला जबलपुर से अभिप्राप्त की जा सकेगी.

3. समुचित आवेदक का चयन मध्यप्रदेश खनिज नीति, 2010 में अधिकथित पैरामीटर के अनुसार किया जाएगा.

No. F-2-30-07-XII-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Mines and Minerals (Redevelopment and Regulation) Act, 1957, the State Government, hereby, invites application for grant of prospecting license of iron ore and manganese ore in following area for installing value addition unit in the state based on these minerals:—

District	Tehsil	Village	Khasra No.	Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jabalpur	Majhouli	Tala	108 part	13.26 Hactare

Note:— 1. Application of prospecting license shall be received, after 30 days from the date of this notification, by Mining Section, Office of Collector, District, Jabalpur within one month.

2. Related information of the area may be obtained from Mining Section, Office of Collector, District Jabalpur.

3. Selection of appropriate applicant shall be made in accordance with the parameter laid in Mineral Policy, 2010 of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. एफ-3-48-2011-बत्तीस.—राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा-17 क(1) के अन्तर्गत गरोठ विकास योजना हेतु आदेश क्रमांक-968, दिनांक 23 अक्टूबर 2002 (2816/जि.योसा./28-बी/बैठक/2002/दिनांक 16 अक्टूबर 2002) द्वारा गरोठ विकास योजना हेतु पूर्व में समिति का गठन किया गया था. उक्त समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा-17-क(2) के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17क(1) की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगर पंचायत, गरोठ	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, मंदसौर	सदस्य
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र, मंदसौर	सदस्य
(घ)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, गरोठ	सदस्य
(ङ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत गरोठ	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत बरखेड़ी लोया	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, पावटी	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, फूलखेड़ा	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला मंदसौर	सदस्य
	2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी	नगर पंचायत गरोठ	सदस्य
	3. अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग, गरोठ	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
	7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	राजस्व अनुभाग, गरोठ	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच	समिति संयोजक.

क्र. एफ-3-93-2011-बत्तीस.—राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा-17 क(1) के अन्तर्गत दमोह विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा-17-क(2) के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17क(1) की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका परिषद, दमोह	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, दमोह	सदस्य
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र, दमोह-पन्ना	सदस्य
(घ)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, दमोह	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(ङ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, दमोह	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, समन्ना	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, इमलाई	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, कुंवरपुर	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, सिंगपुर	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, चौपराखुर्द	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, मरहाहार	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपरिया दिगम्बर	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, हिरदेपुर	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, मारूताल	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला दमोह	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, दमोह	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा. यां. दमोह	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	जिला वन मंडलाधिकारी, दमोह	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सागर	समिति संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. एफ-1-2-रा.स.-यूए.1-2011-1121.— यत:, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 52(1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-2009/38-3, दिनांक 29 अगस्त 2011 जारी की है, जो दिनांक 29 अगस्त 2011 से प्रभावशील की गई है.

2. अत:, मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 52 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरान्त प्रो. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, सभापति, महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश, भोपाल को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूं.

3. इनकी सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (8) के अनुसार शासित होंगी.

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE (DEPTT. OF REVENUE)

OFFICE OF THE

ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX

RANGE-1, AAYAKAR BHAWAN, BHARATPURI, UJJAIN (M.P)

ORDER NO. 1/2011

Dated : 18th July 2011

In exercise of powers conferred by the Central Board of Direct Taxes. New Delhi under sub-section (2) of Section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) vide Notification No. 228 of 2001, datded 31-7-2001 [S.O. No. 732 (E) and File No. 187-5-2001-ITA] and amendment to it made vide Notification No. 335 of 2001 [S.O. No. 1064(E), datded 29-10-2001], and all other powers in this behalf and in pursuance of CIT, Ujjain's Order No. 6, dated 5-11-2001 and also in compliance to the **INSTRUCTION NO. 1/2011 [F. NO. 187/12/2010-IT (A-I)], DATED 31-1-2011 issued by the CBDT which lays down revised monetary limit of cases to be assessed by DCsIT/ ACsIT and the ITOs in metro cities and mofussil areas w.e.f. 1-4-2011 and the Notification No. CCIT/Ind/ Tech/Jurisdiction/2011-12, dated 20-6-2011 issued by Hon'ble CCIT Indore further adjusting the monetary limit of the cases to be assessed by DCsIT/ACsIT and the ITOs in view of the INSTRUCTION NO. 6/2011 [F. NO. 187/12/2010-ITA-I], DATED 8-4-2011,** I the Additional Commissioner of Income Tax, Range-1, Ujjain hereby direct that all of my subordinate Assessing Officers [Dy./Asstt CsIT, ITOs] shall exercise the powers and perform the functions of Assessing Officer in respect of such territories and/or such persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/or such cases or classes of cases in respect of which the Addl./Joint Commissioner of Income Tax, Range-1, Ujjain has been vested with jurisdiction by the Commissioner of Income Tax, Ujjain. Accordingly these assessing officers shall have concurrent jurisdiction amongst themselves as well as with the Additional/Joint Commissioner of Indome Tax, Range-1, Ujjain.

2. However without any restriction to the generality of concurrent jurisdiction, with a view to allocate the work amongst all these assessing officers for proper functioning. I, the Additional Commissioner of Income Tax, Range-1, Ujjain hereby direct that these assessing officers as specified in Col. No. 2 of Schedule here to annexed, having their headquarters at places specified in corresponding entries in Col. No. 3 of the said Schedule, shall exercise the powers and perform the function of an assessing officers and/or any other functions as specified therein, in respect of territories mentioned in Col. No. 4 and/or persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/or cases or classes of cases mentioned in Col. No. 5 of Schedule annexed hereto.

3. This order is in supercession of all the earlier orders issued in this regard and shall come into force with effect from 1-4-2011.

PRADEEP KUMAR MITRA
Additional Commissioner of Income Tax,
Range-1, Ujjain.

Explanatory Notes

1. The jurisdiction over the cases of partners of the firms and Managing Directors / Directors of the companies will vest with the AO having jurisdiction over corresponding Firms & Companies respectively irrespective of returned income/ loss. In case of an individual is director/partner in more than one company/firm, the jurisdiction of such individual shall vest with the Assessing Officer who is having jurisdiction over the company / firm which is having higher Income.

2. If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AOs, the AO having jurisdiction over the director or managing director of the company will have jurisdiction over such persons.

3. For the purpose of this Notification "Residing" means:—

a. In the case if an Individual, place of residence unless otherwise provided in this notification.

b. In this case of an HUF, the place of residence of the Karta, and in the case of firm or in other Association of persons or body of individuals or a local authority and all other Artificial judicial persons.

c. In case of companies the place where the registered office or principal place of business of is located.

d. In case of private Ltd. Companies wherever the jurisdiction is alphabet wise it is clarified that for the purposes of jurisdiction over the case, if the name begins with the word "The", the same shall not be taken into account.

4. Reference to the Municipal Wards made in the Schedule should be read as reference to municipal wards of Municipal Corporation, Ratlam, as per Notification No. 372, dated 12/08/1994 issued by the Govt. of Madhya Pradesh in this regard.

5. The jurisdiction of all other direct taxes including that of the Interest Tax shall be as per the territorial area assigned as per column no. 4 of this Schedule:—

PRADEEP KUMAR MITRA
Additional Commissioner of Income Tax,
Range-1, Ujjain.

SCHEDULE

S. No.	Designation of Income Tax Authority	Head Quarter	Territorial Area	Persons and classes of person and/or such income or classes of income and/or cases or classes of cases
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DCIT/ ACIT-1(1) Ujjain.	Ujjain Madhya Pradesh	Municipal Wards from 1 to 36 of Ujjain Municipal area, Mahidpur, Tarana and Ghatia Tehsils of Ujjain District and Dewas District.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col. 4 and income/ loss returned is above RS.10 Lakhs. (b) All person being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/loss returned is above Rs. 10 Lakhs.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(c) All persons being Private Salary earners in Ujjain District and all Government and Private Salary earners of Dewas District, in whose cases income/loss returned is above Rs.10 lakhs. (d) All persons being companies registered under Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in column no. 4 in whose cases income/loss returned is above Rs.15 Lakhs. (e) All persons being Trust, Waqfs, Society, Local Authority, AOP, BOI, AJP etc. Falling within the territorial area assigned under column 4. (f) All cases of Estate Duty falling within the territorial area assigned under Col. 4. (g) Any other case/cases assigned in terms of Section 120(5) of the I. T. Act, 1961. (h) Any other case/cases assigned u/s 127 by the CCIT/CIT.
2.	Income Tax Officer-1(1) Ujjain.	Ujjain Madhya Pradesh	Municipal Wards from 1 to 36 of Ujjain Municipal Area.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col.4 and income/ loss returned is upto Rs.10 Lakhs. (b) All person being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/loss returned is upto Rs. 10 Lakhs. (c) All persons being Private Salary earners in Municipal Wards 1 to 36 of Ujjain Municipal Area, in whose cases income/ loss returned is upto Rs.10 lakhs. (d) All persons being companies registered under Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income/loss returned is upto Rs. 15 Lakhs. (e) Any other case/cases assigned in terms of Section 120(5) of the I. T. Act, 1961. (f) Any other case/cases assigned u/s 127 by the CCIT/CIT.
3.	Income Tax Officer-1(2) Ujjain.	Ujjain & Dewas Madhya Pradesh	Mahidpur, Tarana and Ghatia Tehsils of Ujjain District and Kannod, Khategaon, Wagli and Sonkauth Tehsil of Dewas District.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col.4 and income/ loss returned is upto Rs.10 Lakhs.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/loss returned is upto Rs. 10 Lakhs. (c) All persons being Private Salary earners in Ujjain, Mahidpur, Tarana and Ghatia Tehsils of Ujjain District and all Private Salary Earners in the District of Dewas, in whose cases income/loss returned is upto Rs.10 lakhs. (d) All persons being companies registered under Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income/loss returned is upto Rs. 15 Lakhs. (e) Any other case/cases assigned in terms of Section 120(5) of the I. T. Act, 1961. (f) Any other case/cases assigned u/s 127 by the CCIT/CIT.
4.	Income Tax Officer, Dewas	Dewas Madhya Pradesh	All persons falling in the Municipal Areas of Dewas.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col.4 and income/loss returned is upto Rs.10 Lakhs. (b) All person being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/loss returned is upto Rs. 10 Lakhs. (c) All persons being employee of Central Government as well as State Government residing in territorial area mentioned in Col. 4, in whose cases income/loss returned in upto Rs. 10 Lakhs. (d) All persons being companies registered under Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income/loss returned is upto Rs. 15 Lakhs. (e) Any other case/cases assigned in terms of Section 120(5) of the I. T. Act, 1961. (f) Any other case/cases assigned u/s 127 by the CCIT/CIT.

PRADEEP KUMAR MITRA
Additional Commissioner of Income Tax,
Range-1, Ujjain.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 4 अगस्त 2011

प्र. क्र. 43-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	खताखेड़ी	3.093	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्वहन सिंचाई योजना के (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	3.093		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सापन उद्वहन सिंचाई योजना (नहर) कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 44-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	नशरतगढ़	0.435	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्वहन सिंचाई योजना के (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	0.435		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सापन उद्वहन सिंचाई योजना (नहर) कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 45-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	लभाखेड़ी	3.756	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्वहन सिंचाई योजना के (नहर) कार्य हेतु.
			योग . . 3.756		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सापन उद्वहन सिंचाई योजना (नहर) कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 46-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	डंगरवारा	1.674	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्वहन सिंचाई योजना के (नहर) कार्य हेतु.
			योग . . 1.674		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सापन उद्वहन सिंचाई योजना (नहर) कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 47-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	मोही	7.390	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्‌वहन सिंचाई योजना के (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	7.390		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सापन उद्‌वहन सिंचाई योजना (नहर) कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 48-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	बेरखेड़ी किरार	1.682	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्‌वहन सिंचाई योजना के (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	1.682		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सापन उद्‌वहन सिंचाई योजना (नहर) कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 49-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	बम्होरी	1.510	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्‌वहन सिंचाई योजना के (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	1.510		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सापन उद्‌वहन सिंचाई योजना (नहर) कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 50-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	डफरयाई कलां	1.065	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्वहन सिंचाई योजना के (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	1.065		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सापन उद्वहन सिंचाई योजना (नहर) कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. 23-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	हिडोरा	14.28	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी (म. प्र.).	सिंध परियोजना आर. बी. सी. (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-7 एवं 12 आर माइनर, 13 आर माइनर तथा 14 आर माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. 955-भू-अर्जन-रीडर-1-2011-प्र. क्र. 9-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/शहर	सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	गड़ात	10.98	डिप्टी चिफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, (बड़ोदा)	छोटा उदेयपुर-धार हेतु रेलवे लाईन.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 957-भू-अर्जन-रीडर-1-2011-प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/शहर	सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	लखनकोट	7.26	डिप्टी चिफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे (बड़ोदा)	छोटा उदेयपुर-धार हेतु रेलवे लाईन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 959-भू-अर्जन-रीडर-1-2011-प्र. क्र. 11-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/शहर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	रामसिंह की चौकी	34.31	उद्योग संचालनालय, म. प्र. भोपाल.	नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु.
		लखनकोट	15.56		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

अलीराजपुर दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. 794-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	फाटा	0.35 सर्वे नं. 1550	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं.क्र. 16 कुक्षी, जिला धार.	जोबट परियोजना के डाउन स्ट्रीम ब्रिज के दाहिने पहुंच से प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16 कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. क-भू.अ.अ.-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	सिमरी कीरत	1.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.	कोपरा एनीकट जल संवर्धन योजना का कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 24 अगस्त 2011

प्र. क्र. 29-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नहर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	मौरहा	0.024 हे. एवं परिसंपत्तियां	अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर.	ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-11-1579.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	छिरारी	1143	0.02	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना की उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी-6 शाखा नहर का निर्माण कार्य.
			1144	0.03		
			1142	0.40		
			1131	0.04		
			1132/3	0.42		
			1050	0.07		
			1051/1	0.04		
			1040 मि.	0.01		
			1033	0.11		
			1035	0.06		
			1036	0.01		
			1037	0.02		
			1038	0.07		
			1044	0.04		
			1040 मि.	0.04		
			874	0.11		
			873	0.10		
			872	0.01		
			855	0.21		
			783/1	0.01		
			783/2/1	0.01		
			783/2/2	0.02		
			577	0.02		
			851	0.70		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			578	0.01		
			579/1	0.03		
			576/1	0.03		
			579/2	0.05		
			576/2	0.01		
			581	0.02		
			582	0.18		
			573/1, 773/2	0.33		
			571	0.21		
			533	0.01		
			523	0.14		
			531	0.06		
			534	0.16		
			539	0.03		
			518	0.25		
			521	0.01		
			519	0.05		
			498/3	0.06		
			461	0.14		
			498/4	0.06		
			498/2	0.01		
			498/1	0.06		
			493	0.15		
			494	0.01		
			495	0.01		
			500	0.02		
			463	0.15		
			456	0.04		
			457	0.06		
			452	0.04		
			449	0.10		
			446/1	0.22		
			कुल योग . .	5.28		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 24 अगस्त 2011

प्र. क्र. 24 अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-6259.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	खेडली बाजार	0.092	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	बुन्डाला दायी तट नहर माईनर 9/1 का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लांन) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल, दिनांक 25 अगस्त 2011

प्र. क्र. 1 अ-82-वर्ष 2008-09-भू-अर्जन-6310.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	रगड़गांव	0.282	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	रगड़गांव जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 1316-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भगवानपुरा	चौखण्ड	55.108	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	खारक जलाशय परियोजना के शीर्ष कार्य के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1317-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भगवानपुरा	चौखण्ड	2.272	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	खारक जलाशय परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 1329-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	रतनपुर	18.020	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	रतनपुर तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1330-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	कुसुम्बिया	49.635	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	करेली नाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1331-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भगवानपुरा	बोरखेड़ा	8.487	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	जामुनपाटी तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बीना, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. क-7142-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	बीना	पहारखेड़ी	10	2.890	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा.	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना, जिला विदिशा, मायनर नहर का निर्माण कार्य हेतु.
		धन्सरा	20	4.930		
		सनाई	43	11.330		
		रसूलपुर	20	3.750		
		मूड़री	12	3.020		
		गौहर	22	3.040		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2011

क्र.-प्र.भू.अ.-2011-7395.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल हेक्टर में एवं वर्गमीटर में			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. /वर्गमी. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	खुरई	खिमलासा	08	0.032 हे. (334 वर्गमीटर)	संभागीय प्रबंधक रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन सागर, संभाग सागर.	बी.ओ.टी. योजना अंतर्गत बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खुरई में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, 26 अगस्त 2011

प्र. क्र. 1-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	गणेशगंज	4.21	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मिनौरा	3.19	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	जमड़ार	1.83	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सुजानपुरा	2.16	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	चरपुवॉ	4.368	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	हरपुरा	2.068	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 804-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	1. पटेहरा	147.933	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.	बमरहा तालाब योजना निर्माण हेतु.
		2. नरसिंहपुर	17.350		
		3. बघैला	9.918		
		कुल योग . .	175.201		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बमरहा तालाब योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 809-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	1. पोखड़ौर	1.996	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.	गोबरदहा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.
		कुल योग . .	1.996		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोबरदहा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 817-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	1. नरैनी पहाड़	5.273	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.	नंदनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण.
		2. अमोखर	2.805		
		3. रकरी	1.954		
		कुल योग . .	10.032		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नंदनपुर जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 820-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	1. टटिहरा	3.942	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.	जूड़ा तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
		2. धौसड़	1.924		
		3. तेंदुआ पड़ान	1.076		
		4. कुलहा	2.508		
		कुल योग . .	9.450		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जूड़ा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 821-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	1. मसुरिहा	2.014	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.	नैया नाला जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.
		2. सगराकला	4.372		
		3. हनुमना	0.561		
		4. भाटी	1.846		
		5. मुरैठा कोठार	0.122		
		6. मुरैठा उर्फ कचनार	2.485		
		कुल योग . .	11.400		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 824-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	1. पाडर	1.145	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.	नंदनपुर बांध योजना निर्माण हेतु.
		2. नरैनी पहाड़	11.964		
		3. रकरी	14.778		
		4. सरैहा	5.352		
		कुल योग . .	33.239		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नंदनपुर बांध योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 833-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	1. पीताम्बरगढ़	2.059	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.	पीताम्बरगढ़ जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.
		2. पीड़रिया	6.749		
		कुल योग . .	8.808		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पीताम्बरगढ़ जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 35-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	लालबर्रा	बांदरी प.ह.नं. 01	22.154 हे. निजी भूमि 17.942 हे. शासकीय भूमि कुल . . 40.096 हे. सरंचना सहित.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.).	डोहरा जलाशय के शीर्ष कार्य के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि एवं नहरों के निर्माण प्रयोजन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन सर्वेक्षण उप संभाग बालाघाट, जिला बालाघाट में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 अगस्त 2011

क्र. 2244-45-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	उमरिया बगवान्या	0.740 0.810	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार.	आर.आर.आर. योजना में प्रस्तावित उमरिया तालाब की डायवर्शन नहर अंतर्गत प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3032-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	कुर्डूदिगपुरा	2.998	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.	कुर्डूदिगपुरा तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 6537-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	सारंगपुर प.ह.नं. 44, रा.नि.मं., धनौरा, तह. धनौरा.	135.84 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि— 21.82 हेक्टर.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग, क्र. 1, सिवनी.	हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6538-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	कुटमैली, प.ह.नं. 44, रा.नि.मं., धनौरा, तह. धनौरा.	45.15 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि— 12.21 हेक्टर.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग, क्र. 1, सिवनी.	हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6539-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	ग्वारी, प.ह.नं. 46, रा.नि.मं., धनौरा, तह. धनौरा.	4.86 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि— 2.82 हेक्टर.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग, क्र. 1, सिवनी.	हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 3940-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	झालौन प.ह.नं. 44, रा.नि.मं., धनौरा, तह. धनौरा.	45.60 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि— 5.75 हेक्टर.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग, क्र. 1, सिवनी.	हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6541-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	बरेला, प.ह.नं. 46, रा.नि.मं., धनौरा, तह. धनौरा.	41.98 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि— 13.73 हेक्टर.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग, क्र. 1, सिवनी.	हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 8 अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	नेपानगर	झिरपांजरिया	21.98	भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर	झिरपांजरिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर का भू-अर्जन.
		योग . .	21.98		

(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 6495-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 02-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि को संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	जावद	केनपुरिया	28.209	कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, नीचम.	केनपुरिया तालाब निर्माण योजना
		अठाना	0.326		
		आसन दरियानाथ	0.630		
		कुल योग . .	29.165		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय नीमच, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 1 सितम्बर 2011

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-263.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सुन्दरपुर	3.27	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम (दायीं तट नहर कार्य).
		योग . .	3.27		
		शासकीय भूमि	0.08		
		कुल योग . .	3.35		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-264.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	झांकी	5.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं बायीं तट नहर कार्य).
		योग . .	5.59		
		शासकीय भूमि	1.00		
		कुल योग . .	6.59		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-265.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	जाताडोंगरी	10.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं बायीं तट नहर कार्य).
		योग . .	10.55		
		शासकीय भूमि	1.88		
		कुल योग . .	12.43		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-266.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	समनापुर	2.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम (बायीं तट नहर कार्य).
			योग . . 2.42		
			शासकीय भूमि 0.11		
			कुल योग . . 2.53		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-267.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	मझगांव	8.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	कचनारी डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं दायीं व बायीं नहर कार्य).
			योग . . 8.09		
			शासकीय भूमि 2.20		
			कुल योग . . 10.29		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-268.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को

उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	टिकरिया	0.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	कचनारी डायवर्सन स्कीम (दायीं तट नहर कार्य).
		योग . .	0.50		
		शासकीय भूमि	0.10		
		कुल योग . .	0.60		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-269.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	अतरिया	1.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	कचनारी डायवर्सन स्कीम (दायीं तट नहर कार्य).
		योग . .	1.50		
		शासकीय भूमि	0.27		
		कुल योग . .	1.77		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-270.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	बिलाईखार	1.85	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	कचनारी डायवर्सन स्कीम (बायीं तट नहर कार्य).
		योग . .	1.85		
		शासकीय भूमि	0.36		
		कुल योग . .	2.21		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-271.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता

पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	उमरिया	7.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	खाम्ही डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं दांयीं तट नहर कार्य).
			योग . . 7.22		
			शासकीय भूमि 0.10		
			कुल योग . . 7.32		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-272.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	खाम्ही	9.94	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	खाम्ही डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं बायीं तट नहर कार्य).
			योग . . 9.94		
			शासकीय भूमि 2.64		
			कुल योग . . 12.58		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2(अ-82)-2010-11-273.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	साल्हेघोरी	0.54	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	खाम्ही डायवर्सन स्कीम (दायीं तट नहर कार्य).
			योग . . 0.54		
			शासकीय भूमि 0.08		
			कुल योग . . 0.62		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्र. 880-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—कल्याणपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.513 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अतिग्रहीत होने वाला रकबा (हे. में)
(1)	(2)
64	0.144
66/1	0.044
66/2	0.066
68	0.099
67	0.094
73	0.188
87/1	0.114
87/2	0.025
89	0.268
92	0.024
90	0.107
375/1	0.138
377/1/2	0.218
377/1/1	0.003
510/1	0.111
510/2	0.122
509	0.170
506	0.182
502	0.001
507	0.001
500	0.078
501	0.085
499/2	0.008
503/1	0.005
492/2 ख	0.150
492/2 क	0.136
493/2	0.025
494	0.243
495	0.004
484	0.133
33/1	0.048
33/2	0.052
132/16	0.227
132/13	0.150
132/20	0.087
132/21	0.067
132/17	0.030
132/22	0.033
132/23	0.284
132/29	0.345
132/25	0.121
132/9	0.216
131/2	0.264
130/1	0.137
128/1	0.082
128/2	0.010
153/1ख/1	0.146
153/1ख/3	0.066
153/1ख/10	0.117
153/1ख/7	0.138
155/1	0.167
179/1	0.146
179/3	0.155
178/3	0.014
175/1	0.128
177/1	0.009
176	0.038
175/2क	0.243
412/2	0.007
निजी खाता भूमि योग रकबा :	6.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 912-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—इचौल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.278 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
52/6/1	0.053
52/2/1	0.004
52/7/3	0.019
52/5/3	0.058
52/4/3	0.087
52/4/2	0.157
52/2/3	0.021
52/1/1	0.129
52/1/2	0.122
65/2/1	0.214
65/2/3	0.049
173/2	0.229
777	0.275
787/1	0.007
788	0.386
792	0.083
791/1	0.002
791/7	0.031
791/4	0.073
791/5	0.072
791/6	0.030
804	0.002
829	0.069
828	0.392
853	0.018
877	0.028
881	0.067
125/2	0.353
88/2क	0.110
88/2ख	0.090
136	0.046
निजी खाता भूमि योग रकबा	: 3.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 913-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—इचौल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.868 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
409	0.090
391	0.031
392/1क/2	0.045
392/1क/1	0.062
387/1क/1	0.069
387/1ख	0.059
387/2	0.085

(1)	(2)
387/1क/2	0.063
386/1/1	0.043
386/1/2	0.042
386/2	0.085
384	0.103
375	0.104
373/2	0.101
372	0.206
370	0.071
371	0.031
369/1	0.087
361/1	0.190
361/2	0.050
362/1	0.105
362/2	0.036
358	0.108
354	0.051
355/1क/1	0.020
355/1क/2	0.026
355/1ख	0.040
355/2	0.084
352/1	0.040
352/2	0.025
351	0.246
350	0.093
348/2	0.126
348/1	0.291
668	0.059
669	0.024
671	0.045
672/2	0.006
670	0.003
674	0.001
676	0.005
661/1	0.062
687	0.013
688	0.062
690	0.074
661/2	0.451
979	0.032
976	0.020
1000	0.025
1001	0.059
1004/2	0.065

(1)	(2)
1006	0.008
1008/1	0.095
1008/2	0.092
1009/1	0.003
1009/2	0.006
1115	0.104
1156/2	0.017
991/2	0.006
2353	0.006
1158/2	0.214
2379/659/1	0.092
1157/2	0.026
1213	0.008
2379/659/2	0.092
1214/2	0.002
1215	0.222
2349/1215	0.016
1216	0.010
2352	0.002
2350/1	0.136
2351/1	0.026
1218/1ब/2	0.574
1218/1ब/1	0.034
1229/1	0.007
236	0.051
237	0.046
245	0.025
246	0.004
410	0.107
409	0.063
436	0.007
408	0.076
407	0.089
406	0.011
393	0.118
402	0.069
401	0.037
351	0.005
350	0.068
652	0.031
651	0.011
653	0.088
654	0.079
597/2	0.018

(1)	(2)
632/1ग	0.244
632/1क	0.331
634	0.011
632/1ख	0.225
2344	0.250
2343	0.018
573/1	0.140
573/2	0.086
2342	0.040
1288	0.046
1287	0.323
1285/1ग	0.036
1285/1ख	0.031
1285/1क	0.031
1285/2	0.049
1268	0.016
1269	0.013
1001	0.054
1002	0.071
1004/1	0.011
1003	0.021
1014	0.004
1013	0.102
1012/1	0.022
1016	0.080
1017/2	0.018
1021	0.048
1020	0.017
1019	0.043
1022	0.018
1025	0.041
1026	0.005
1018	0.001
1027	0.100
1036/1	0.033
1034	0.038
1036/2	0.004
1035	0.086
1045	0.081
1046	0.068
1047	0.032
1148	0.030
1147	0.089
1136	0.045
1138/2	0.008
1135	0.021
1134	0.031
1133	0.002
1164	0.015
1167	0.046
1166	0.022
1169	0.040
1186	0.002
1189/1अ/2	0.006
1168	0.019
1170	0.037
1171	0.071
1172/2	0.016
1188/2	0.055
1190	0.112
1187	0.135
1178/1	0.426
1179/1	0.037
निजी खाता भूमि योग रकबा :	10.868

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 914-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—कोठी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.002 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
218/1	0.027
218/2	0.033
218/3	0.042
218/4	0.117
218/5	0.087
219	0.002
222/1ङ	0.087
222/2ख	0.054
222/1घ	0.044
222/1क	0.001
221/4	0.093
221/6	0.050
221/2	0.032
221/3	0.027
221/1	0.017
225	0.020
224	0.003
226	0.345
243/1ख	0.063
243/1क	0.215
229/1	0.035
242	0.048
241	0.038
240	0.028
238/1क	0.082
238/2	0.082
238/1ख	0.103
235	0.034
252	0.315
253	0.039
259	0.113
362	0.008
360	0.001
359	0.119
358	0.098
276	0.001
277	0.039
278/1	0.013
278/2	0.010
279	0.033
269	0.062
283/1	0.062
284	0.031
(1)	(2)
280	0.031
281	0.007
282	0.036
288/1	0.015
288/2	0.019
287/1	0.055
292/1	0.112
302/1	0.003
301	0.120
299	0.060
297/2	0.046
297/1	0.044
320	0.103
321	0.135
322/2	0.046
322/1	0.046
322/3	0.043
333	0.032
336	0.042
334	0.002
335	0.068
521/2	0.135
522/3	0.003
522/1	0.034
522/2/1/1	0.102
522/2/2/1	0.070
574/1	0.086
574/2	0.069
581/1	0.008
575/1	0.025
576/1	0.014
699/1	0.057
700	0.058
696	0.075
695	0.016
706/1	0.103
707/1	0.121
686/1	0.016
684	0.078
685/1	0.021
682/1	0.005
683	0.008
681	0.008
674	0.020

(1)	(2)
675	0.023
680	0.021
677	0.004
676	0.004
निजी खाता भूमि योग रकबा :	5.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 915-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—रगौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.524 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
57	0.027
58	0.043
59	0.026
66	0.030
67	0.032
74	0.039
75/2	0.039
106	0.062
107	0.058
108	0.060
110	0.064
111	0.040
112	0.050
113	0.002
114	0.002
119/1	0.012
119/2	0.014
118/1	0.013
118/2	0.012
120	0.027
121	0.027
122	0.044
123	0.044
124/1	0.044
125	0.048
126	0.019
127	0.025
128	0.065
207	0.098
208	0.008
206	0.095
205	0.081
210	0.071
209/592	0.018
242	0.271
243	0.010
244/1	0.069
244/2	0.006
245	0.083
308	0.163
309/1	0.012
309/2	0.032
312	0.049
313	0.024
319	0.063
314/1	0.312
317	0.003
315	0.021
342/2क	0.135
342/1	0.148
341/1ग	0.017
486	0.099
456/1	0.014
457/1	0.029
458/1	0.043
459/1	0.064
460/1	0.059

(1)	(2)
463/1	0.059
466/1	0.072
465/1	0.052
467/1क	0.007
468/1	0.068
473/1	0.026
469/1	0.065
470/1	0.100
438/1	0.010
निजी खाता भूमि योग रकबा :	3.524

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 916-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—रगला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.014 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
874	0.009
873	0.050
872	0.002
871	0.050
869	0.029
870	0.020
682	0.048
683	0.047
684	0.031
685	0.015
681	0.030
686	0.040
687	0.040
688	0.049
689	0.020
690	0.055
691	0.047
661/2	0.050
662	0.005
661/1	0.049
657	0.052
658	0.016
632/2/2	0.017
632/2/1	0.035
656	0.016
632/1	0.038
655	0.028
633	0.048
634	0.023
612	0.277
598	0.056
588	0.011
589	0.010
590	0.295
591	0.004
592/1क	0.007
478	0.285
477	0.014
476	0.087
475	0.017
474	0.085
473	0.016
472	0.282
457	0.089
456	0.006
440	0.051
441	0.028
442	0.158
439	0.013
430	0.006
536/5	0.055
536/6	0.313

(1)	(2)	(1)	(2)
536/4	0.120	732	0.023
548	0.021	731	0.012
547/4	0.043	729	0.049
547/1क	0.047	730	0.041
547/3	0.017	728	0.001
547/2क/2	0.031	726	0.003
546/2	0.003	725	0.005
545/1	0.010	723	0.076
545/2	0.003	724	0.010
544/4	0.057	712	0.012
544/2ख	0.088	717	0.020
544/2क/2	0.044	716	0.003
887	0.051	718	0.031
886	0.048	715	0.003
885	0.020	1197	0.034
884	0.006	1236	0.015
874	0.043	1243/1	0.019
875	0.032	1235/1	0.020
876	0.010	1235/2	0.030
877	0.010	1235/3	0.025
878/1	0.018	1222	0.068
867	0.070	1223	0.010
895	0.031	1233/1	0.003
865	0.017	1225/1	0.014
896	0.004	1224/1	0.233
864	0.030	1224/2	0.203
863	0.009	1221/2	0.018
755/1	0.010	1220/2ख	0.229
755/2	0.003	1220/1	0.021
755/3	0.014	1219/2	0.036
751	0.005	1217	0.029
752	0.034	1218	0.284
753	0.112	1214	0.015
754	0.090	1212	0.470
737	0.050	1213/2	0.048
736	0.019	1300/1	0.009
735	0.007	1302	0.150
708/2	0.008	307	0.212
709/1	0.031	310/2क	0.004
709/2	0.020	308	0.094

(1)	(2)
309	0.024
301	0.224
300	0.008
302	0.316
296	0.041
297	0.190
178	0.315
191	0.008
179	0.051
190/1	0.040
190/2	0.063
190/3	0.048
190/4	0.055
189/1	0.015
187/1क	0.168
187/1ख	0.161
184	0.020
155/1	0.048
154	0.129
155/2क	0.059
155/2ख	0.058
1220/2ख	0.046
1219/2	0.020
1217	0.141
1225/1	0.002
1226	0.143
1293	0.063
1292	0.067
1291/1	0.073
1290/1	0.011
1319/1	0.271
1318/1ख/1	0.013
1318/1ख/2	0.013
1318/1क	0.028
1318/2	0.023
1321	0.356
1326/2	0.018
1327/2	0.175
1328	0.096
1356/1	0.009
1357/1क/2	0.190
1353/2ख	0.030
1353/2ग	0.029
1353/2क	0.036
1354/2ख	0.001
1354/2ग	0.016
1354/2क	0.032
1353/1	0.079
कुल अर्जित रकबा :	11.014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 917-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—इचौल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.826 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
401	0.052
400	0.026
399	0.058
475	0.050
476/1	0.119
498	0.034

(1)	(2)
488	0.010
481	0.103
487	0.010
496	0.069
485	0.079
484	0.020
486	0069
459/1	0.010
499/1	0.260
499/2	0.008
500/1	0.008
502	0.060
503	0.144
1424	0.154
1432/1	0.035
1432/2	0.102
1455/2	0.126
2233	0.029
1454/2	0.007
1469	0.010
1470/2	0.071
1470/3	0.071
1515	0.108
1516	0.007
1517/2	0.131
1518/2	0.116
2365/1518/2	0.009
1559/3अ	0.019
1559/3ब	0.041
1562	0.005
1560/3	0.073
1561	0.038
1589/1	0.030
1589/2	0.088
1590	0.083
1586/1	0.150
1586/2/1	0.077
1586/2/3	0.110
1586/2/4	0.011
1579/1	0.115
1579/2	0.109
1578/1	0.057
1576	0.140
1577	0.055
1397/2	0.058

(1)	(2)
1396/1ख	0.192
1396/2ख	0.087
1396/1क	0.081
1390	0.007
1388	0.007
401	0.028
400	0.014
403	0.025
474	0.043
404	0.020
438	0.039
483	0.104
443	0.090
480	0.053
471/1क	0.035
470	0.124
469	0.132
468	0.007
448	0.010
450	0.029
449/2	0.224
1848	0.021
1849	0.042
1840	0.065
2311/1840/2	0.059
2311/1840/4	0.025
1841	0.014
1842	0.001
1839/1/2	0.010
2328/1813/1	0.120
2321/1837/1	0.139
2320/1834	0.236
1817	0.027
1829/1	0.199
1828/1/ख	0.066
1827/2	0.128
1826/2	0.002
2170	0.001
2171	0.021
2172	0.120
1826/2	0.002
2177	0.074
2199/1क	0.003
2199/2	0.011

(1)	(2)
2200	0.079
2314	0.084
2201	0.129
2204	0.004
2213	0.010
2205	0.172
2212/1क	0.160
2212/1ख	0.072
2316/2	0.001
2242/2	0.020
2243	0.162
2244/2/1	0.114
2244/2/6	0.277
2249	0.001
2255	0.110
2254	0.037
2256	0.129
2258	0.008
2259	0.006
2177	0.090
2178/1	0.110
2180/2	0.017
2197	0.052
2182	0.014
2196	0.075
2183	0.007
2184	0.010
2193	0.070
2185	0.020
2192/2	0.017
2191/2	0.066
2191/1	0.016
2190	0.050
2187	0.049
2188	0.108
2221	0.038
1778/2	0.099
2222	0.032
2223	0.032
2224	0.054
2225/2	0.061
2251/1	0.002
1721/3	0.002
योग . .	8.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शो(प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 918-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—इचौल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.636 हेक्टर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
1990	0.028
1993/1	0.149
1993/2	0.188
1994	0.031
1995	0.136
1980/1	0.005
1997/1	0.013
1996/1	0.166
1998	0.074
1999	0.057
2001	0.043
2000	0.084
2002	0.010
2003/2	0.192
2004/2	0.006
2020	0.097
2110	0.066
2111	0.093
2112	0.065
2118	0.109
2117	0.023
2115	0.001
निजी खाता भूमि योग रकबा :	1.636

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 919-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—कुसली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.240 हेक्टर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
19	0.153
20	0.104
21	0.010
22/3	0.002
23	0.066
24	0.118
25	0.011
26/2	0.050
26/3	0.037
26/4	0.050
27	0.104
82	0.025
47	0.113
81	0.026
80	0.003
48	0.039
48	0.001
76/1	0.018
76/2	0.019
51	0.028
52	0.019
50	0.027
72	0.028
71	0.103
70	0.007
137/2	0.046
137/1क	0.164
75	0.030
138	0.029
141	0.013
142	0.038
136/1	0.004
134	0.047
132/	0.020
224	0.085
228	0.016
225/2	0.030
236	0.146
237	0.023
238/2क/1	0.003
238/2क/2	0.042
328/1	0.034
238/2ख	0.174
240	0.104
274	0.021
270	0.011
निजी खाता भूमि योग रकबा :	2.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 921-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—डांडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.247 हेक्टर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
118/1	0.055
118/2	0.192
निजी खाता भूमि योग रकबा :	0.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 923-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ ग्राम—बेलहटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.983 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
1/2	0.152
2/1	0.010
3	0.088
13/1ख	0.004
14	0.218
15	0.019
12	0.082
11	0.073
10	0.068
30	0.097
31	0.026
27	0.047
28	0.010
26	0.090
निजी खाता भूमि योग रकबा :	0.983

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 925-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ ग्राम—कोरवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.974 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
83	0.198
67	0.039
68	0.068
69	0.068
79	0.173
78	0.011
77	0.087
109/2	0.325
109/1	0.014
149/2	0.174

(1)	(2)
142/2	0.001
142/1	0.119
141	0.001
143/1क/2	0.028
143/1ख	0.123
140	0.020
139	0.036
138	0.141
137	0.108
133	0.084
134	0.008
132	0.077
129/1	0.028
129/2	0.129
231/1	0.064
231/2	0.099
230/2	0.008
226/1	0.002
227/1	0.003
229	0.018
228/1	0.068
228/2	0.231
263	0.030
262/2	0.111
262/1ख	0.002
262/1D	0.041
256/2	0.066
255/2	0.017
256/1ख	0.004
274	0.060
284	0.018
277	0.075
278	0.051
324/2	0.004
323/2	0.003
322	0.057
320	0.030
318	0.131
317	0.012
540/2	0.094
540/1	0.278
539	0.034
536/3	0.005
536/1क	0.230
536/2	0.045
588/1क	0.021
588/2	0.002
निजी खाता भूमि योग रकबा :	3.974

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, (भू-अर्जन), जिला सतना के, न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 926-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ ग्राम—पथरहटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.031 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
800/2	0.031
निजी खाता भूमि योग रकबा :	0.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन,आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर के निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. भू-अ.-5-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—बड़ोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.190 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
712	0.050
713	0.730
714	0.200
666	0.960
683	1.030
715	0.720
717	0.500
726	0.030
581/2	0.700
662	0.880
663	0.480
677	1.130
678	0.100
679/2	0.040
582	0.620
583	0.600
585	0.080
574/1	0.240
679/1/1	0.640
679/1/2	0.630
580	1.000
574/2	0.570
579/2	0.050
724	0.110
725	0.850
305	1.070
732	0.810
734	0.820
735	0.190
736	0.350
737	1.120
710	0.100
711	0.700
668	0.160
670	0.340
671	0.550
674	1.250
664	0.410
665	0.880
685/1	0.150
792	0.150
793	0.770
723	0.970
727	0.030
733	1.410
728	1.390
729	0.120
730	0.260
731	0.250
कुल योग . .	27.190

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ.-6-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—चारपहाड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.350 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
181	0.410
183	0.100
184	1.200
185	0.260
186	0.130
187	0.250
कुल योग . .	2.350

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ.-9-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—बगराज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.211 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88/1/1	0.854
88/1/2	0.854
88/1/3	0.858
88/2	2.420
87	2.132
171/1	0.085
183/2	0.564
183/3	0.568
183/1	0.564
183/4	0.809
183/5	0.809
184	0.907
185	0.930
186	2.857
कुल योग . .	15.211

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ.-11-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—बूधौरकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—52.349 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39, 40	2.363
32,33,34,35,36	1.210
47/3	7.068
43	0.061
44	0.575
46	0.239
47/1	4.012
45	0.352
47/2	2.529
48/2/2	1.186

(1)	(2)
48/2/1	1.214
49/2	2.323
52/2	7.324
171	0.158
181	0.594
53/1	2.833
53/2	6.621
55/1	1.663
55/2	1.667
56/1	2.902
57/1	0.454
56/2	2.902
58/1	0.343
60	0.263
58/2	0.654
168/2	0.405
170	0.093
172	0.089
173/1	0.057
173/2	0.053
189/2	0.053
217	0.089
कुल योग . .	52.349

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ.-12-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—हिन्डोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—69.710 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.530
4/2	0.150
4/1	0.390
5	0.300
7	0.530
119	0.040
13	0.260
14	2.730
8	3.430
15	1.280
16	0.400
17	0.450
18	0.680
19	0.080
20	1.150
21	1.140
22	1.130
23	1.150
25	0.160
26	5.570
24	0.100
27	0.240
28	4.210
33	1.970
34/1	1.320
38/1	1.640
39/1	0.130
40	3.310
34/2	0.360
35	0.260
36	1.430
37	1.640
38/2	0.200
39/2	3.080
98	0.540
71	0.800
70	0.130
72	0.070
90/1	0.450
91/1	1.520

(1)	(2)
107	0.150
108	0.450
89	0.840
82/2	0.170
85	0.550
86	0.150
88	0.320
82/1	0.400
83	0.940
84	0.110
87	0.200
90/2	2.150
91/2	0.140
101	0.160
103	0.180
92	0.800
93	0.140
94	0.100
95	0.530
96	0.370
100	0.710
102	0.200
104	1.170
105	0.690
106	0.300
97	1.220
99	0.390
111	0.300
112/1	0.460
112/2	0.340
113	0.300
128/1	0.120
122	0.080
123	0.300
127	0.060
115	0.700
124	0.900
125	0.900
130	0.090
132	0.450
121	0.900
129	0.090
131	0.450
114	0.710
128/2	0.060
126	1.370
133	0.540
117	0.360
118	0.350
120	1.400
कुल योग . .	69.710

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ.-13-ए-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—ऊटखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—49.261 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/1	1.000
41/2	1.704
42/2	1.364
57/3	0.202
57/1	2.023
67	0.405
90/1/1/2	0.405
90/1/2/1	1.219
44/1	0.733
44/2	0.895
42/1	0.470
241/2	0.065
241/1	0.061
241/3	0.061
241/4	0.178
241/5	0.089

(1)	(2)
241/6	0.089
238/2/263/238	1.643
149	1.036
150, 151, 152/1	0.190
150, 151, 152/2	1.137
150,151,152/3	0.894
153	0.247
196/1/1	1.500
197	1.197
199/1/1	1.500
201	1.724
202	2.379
203	1.484
204/1	0.688
208/1	0.872
204/2	0.105
205, 208/1/1क	0.405
205/208/1/1ख	0.040
205, 208/1/2	0.671
244/1	0.704
238/1/2	1.627
245	0.206
244/2	0.526
246/4	1.007
246/1	0.303
247/1	1.717
248/1	0.073
246/2	0.405
247/2	1.416
248/2	0.271
246/3	0.607
247/3	0.874
248/3	0.607
237/1	0.858
237/2	0.858
237/3	0.858
237/4	0.862
238/1/1	1.109
240/1	0.425
240/2	0.454
240/5	0.040
240/3	0.405
240/6	0.040
240/4	0.506
69	1.805
83/2	2.023
कुल योग . .	49.261

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ.-14-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—पिपलिया कदीम
(घ) लगभग क्षेत्रफल—46.390 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
284	0.020
385	0.160
290	0.410
361	0.200
340	0.170
483/1	0.030
483/3	0.600
488/1	0.310
489	0.140
488/2	0.440
289	0.060
291	0.170

(1)	(2)
341	0.130
288	0.200
281	0.460
249	1.010
386	0.140
387	0.100
264	1.540
267	0.130
172	0.970
269	0.450
486	0.890
487	0.890
490	0.890
493/1	0.760
492/3	0.200
292	0.090
297	0.140
344	0.050
322	0.680
324	0.050
283	0.550
312	0.820
313	1.080
315	0.090
491	0.890
300	0.580
294	0.060
295	0.170
309	0.110
339	0.200
342	0.130
343	0.060
310	0.110
293	0.080
296	0.150
326	0.090
327	0.060
484/1	0.240
484/3	2.030
263	0.230
173	0.510
302	0.560
318/1	0.020
319/1	0.100

(1)	(2)
316/1	0.100
317/3	0.200
332	0.470
245	0.360
299	0.470
334	0.210
336	1.250
345	0.030
346	0.420
328	0.050
330	0.850
298	0.470
335	0.070
337	0.130
338	0.160
247	0.360
174	0.500
308	0.120
311	0.120
333	0.890
319/2	0.690
272	1.070
285	0.400
286	1.180
287	0.480
242	0.200
243	0.300
244	0.220
321	0.740
314	0.160
485	2.370
268	2.570
270	1.540
271	0.380
301	1.340
329	0.050
331	0.840
307	0.230
492/2	0.250
493/2	0.900

(1)	(2)
494	0.900
492/1	0.010
495	0.200
320	0.740
कुल योग . .	46.390

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ.-17-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—चीलखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—32.050 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	1.000
9	1.000
10	0.700
11	0.310
13	0.440
15	1.610
17	0.280
67/21	0.250
34	1.390
35	1.700
36	2.000
21/2	0.740
22/2/2	0.260
21/1	3.170
22/1	0.050
23/1	0.700
19	0.480
22/2/1	1.000
22/2/3	0.300
23/2/1	0.945
25	0.600
27	0.620
28	0.420
29	1.000
30	0.570
31	1.000
32	0.560
33	0.530
50	0.430
43	0.160
44	0.160
48	0.110
46	0.150
49	1.320
51	0.200
59	0.330
53	0.280
54	0.640
57	0.210
58	1.010
61/1	0.290
61/2	0.295
63/1/1	0.840
63/1/2	0.800
63/2	1.200
योग . .	32.050

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 अगस्त 2011

प्र. क्र. 9 अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—दमोह

(ग) ग्राम—बांदकपुर नोहटा जुझार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.04 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
84	0.01
85	0.01
83	0.01
86	0.01
	योग : 0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 1272-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—भीकनगांव

(ग) ग्राम—केदवां जागीर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.398 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
37/1	0.109
38/1	0.108
38/2	0.142
147/4	0.121
150/5	0.089
150/7	0.032
151	0.393
154	0.060
189/1	0.049
189/2	0.214
190	0.053
191	0.028
192	0.040

(1)	(2)
266/1	0.010
266/2	0.290
275	0.113
276	0.020
277	0.061
284	0.024
286	0.060
287	0.247
289	0.239
297	0.308
301/2	0.028
302/1/2	0.035
302/2/1	0.214
303/1/1	0.075
303/1/2	0.200
303/2	0.036
योग :	3.398

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लाखापुरा तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. 1296-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—बिरूल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.040 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
160/7	0.288
161	0.270
162/1	4.245
162/2/1	0.130
162/2/2	0.312
169	0.089
170	0.128
171,172,173,174,175/1	1.562
171,172,173,174,175/2	0.980
171,172,173,174,175/3	0.978
176	0.453
180	1.914
184/1/2	0.040
184/2	0.121
184/3	0.162
187	0.235
188/1	1.485
188/2	0.470
189	0.470
191/1	0.809
191/2	0.300
191/3	0.300
191/4	0.844
191/5	0.283
191/6	0.283
198/1	0.809
198/2/1	0.907
198/2/2	0.890
198/2/3	2.060
198/4	2.518
209	0.413
211	0.420
213	0.744
214	0.813
217/1, 217/2/1	0.158
224	0.157
योग :	27.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मालखेड़ा तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1297-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—अमनखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.000 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
26/1	0.122
49/3	0.180
49/4	0.090
54	0.225
56/4	0.105
56/5	0.105
56/6	0.133
57/1	0.520
57/2	0.070
57/3	0.450
योग :	2.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. 1304-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—लखापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.250 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
59/3	0.252
61/1,60/3	0.740
64, 65/3	0.258
योग :	1.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 1315-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—टेमला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.365 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
190/4	0.300
191/4	0.065
योग :	0.365

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—टेमला नम्बर-02 तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण में पायलेट चेनल हेतु भूमि की आवश्यकता.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. 1298-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—देवरा ज. न. 247

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.058 हेक्टर. छूटे हुये रकबे

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1067/2	0.058
योग :	0.058

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की देवरा माइनर नं. 1 एवं 2 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1300-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—संसारपुर ज. न. 538

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.056 हेक्टर. छूटे हुये रकबे

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1127	0.056
योग :	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की संसारपुर माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 21-अ-82-2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गयी है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—बडेराजागीर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.13 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
38	0.04
39/1	0.13
39/2	0.08
40	0.02
62	0.01
66	0.04

(1)	(2)
72	0.03
73	0.12
74	0.11
75	0.03
81	0.16
82	0.12
83	0.02
106	0.08
107, 108	0.14
115	0.11
118	0.06
119	0.07
120	0.04
121	0.07
122	0.04
127	0.01
128	0.04
129	0.11
131	0.14
133	0.01
462	0.01
463	0.11
468	0.05
469	0.08
470	0.01
472	0.08
477	0.02
478	0.05
479	0.02
481	0.07
482	0.01
484	0.07
486	0.07
490	0.15
491	0.01
492	0.14
525	0.01
526	0.12
542	0.07
544	0.01
546	0.25
550	0.06
551	0.15
557	0.26
558	0.10
570	0.06
572	0.06
579	0.14
580	0.02
581	0.03
595	0.11
596	0.04
600	0.18
601	0.03
609	0.17
610	0.06
617	0.2
618	0.16
624	0.03
625	0.09
662	0.02
665	0.15
666	0.11
670	0.19
671	0.02
679	0.19
683	0.16
684	0.10
688	0.22
687/2 में से	0.02
696/1	0.02
697	0.10
698	0.05
705	0.01
730	0.05
731	0.17
752	0.22
758	0.15
योग	: 7.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—सिंध परियोजना आर. बी. सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर डी-9 की, शाखा नहर एल. एम.-7, एल. एम.-9 आर. एम.-11, एवं आर. एम.-12 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 1905-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि (निजी स्वामित्व) की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—सेमल्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—100 वर्ग मीटर

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)
244/6	100
शासकीय नम्बर	योग : 100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 1925-भू-अर्जन-औ.एस.पी.-2011-**संशोधित उद्घोषणा**-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 14-अ-82-10-11 कार्यालय पत्र क्रमांक 795-वाचक-प्रकरण क्रमांक 14 अ-82-10-11—धार दिनांक 15 जून 2011 ग्राम पिपरी तहसील मनावर जिला धार का रकबा 0.941 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक पृष्ठ क्रमांक 2303 पर दिनांक 1 जुलाई 2011 के अंक में तथा एक समाचार-पत्र प्रभात किरण में दिनांक 4 जुलाई 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका भी नंबर 15347/11 है.

जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

संशोधित उद्घोषणा
ग्राम पिपरी

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(1)	(2)
131/3/3/1	0.941	131/3/3/1	0.941
331/3/2/2		131/3/2/2	

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—शासकीय (आबादी)

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर

(ग) नगर/ग्राम—थोवनपुरवा (नांद)

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.006 हे.

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
787	0.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरियारपुर परियोजना के कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन की आवश्यकता.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 26 अगस्त 2011

प्र. क्र. 2-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—बरूअल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.150 हैक्टेयर

ग्राम-बरूअल

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1091/2	0.244
1091/1/2	0.114
1091/1/3	0.028
1091/1/1	0.057
1090	0.257
1086/2	0.243
1086/1	0.026
1087	0.025
1052	0.043
1053/1	0.130
1054/1	0.157
1054/2	0.215
1058	0.170
1055	0.078
1056/1	0.100
1050/1	0.016
1057/2	0.013
931/3	0.075
931/2/2	0.038
1056/2	0.020
1057/1	0.026
1049/2	0.020
1059	0.005
949/1	0.130
950	0.300
922/3	0.136
952/1	0.013
951/4	0.115
928/2	0.208
928/3	0.208
931/1	0.075
921/5	0.115
903/3	0.230
902/1/3	0.023
901/4	0.137
858/1	0.063
931/2/1	0.037
859	0.057
863	0.057
860	0.160
861	0.057
865	0.160
873/3	0.150
873/2	0.015
869	0.315

(1)	(2)
871	0.011
193	0.206
195	0.166
229	0.110
228	0.137
227	0.080
216	0.033
215	0.138
201/2	0.024
217	0.010
218	0.010
214	0.057
129	0.013
130	0.052
117	0.033
120	0.005
121	0.012
118	0.043
115/3	0.100
116/2	0.039
211	0.005
210	0.046
109	0.069
110	0.011
98/1	0.143
132	0.011
131	0.206
98/2	0.144
209	0.012
99	0.091
115/2/1	0.152
931/4	0.035
931/5	0.040
108	0.023
100	0.022
योग :	7.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—कुरवाई

(ग) ग्राम—नाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.513 हैक्टेयर

ग्राम-नाही

खसरा क्र. (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
161	0.012
162	0.126
163	0.040
159	0.030
170/1/1	0.155
164	0.457
170/1/2	0.166
170/1/3	0.243
170/1/4	0.146
310/1	0.138
योग :	1.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 27 अगस्त 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) नगर/ग्राम—रजौआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.886 हे.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
9/3	0.679	0.526
9/4	0.742	0.665
9/6	1.400	0.410
9/7	1.400	0.479
9/8	1.400	0.443
10	1.076	0.149
7/6 ग	2.108	0.455
7/5 क	0.697	0.130
7/4 ग	1.411	0.416
7/3 क	2.108	0.468
7/2 ग	0.697	0.195
7/1 क	1.411	0.624
7/1 ख	1.411	0.016
23/2	1.254	0.910
	योग :	5.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 27 अगस्त 2011

प्र. क्र. 17-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के तहत् निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—ग्राम सुण्ड (अजायब नगर) में नहर निर्माण हेतु.

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—रायसेन

(ग) ग्राम—सुण्ड (अजायब नगर)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.015 हेक्टयर

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
26/2	0.094
26/1	0.084
29/1	0.130
28/1	0.044
25/2	0.064
18	0.313
17	0.066
25/1	0.067
19/1	0.033
19/2	0.054
19/3	0.066
योग :	1.015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है—ग्राम सुण्ड (अजायब नगर) में नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के तहत् निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—ग्राम गुदरई में नहर निर्माण हेतु.

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—रायसेन

(ग) ग्राम—गुदरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.27 एकड़

खसरा नंबर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
57/1/1	0.33
57/3	0.50
59	0.59
67	0.14
68/2	0.19
100	0.17
107	0.65
108/1/5	0.32
112/1	0.34
111/3	0.37
57/2/2	0.24
57/2/1	0.43
	योग : 4.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम गुदरई में नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र.-दस-भू-अर्जन-फा. 505-प्र. क्र.-13-अ-82-2010-11-4685.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—सिंहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.877 हेक्टर

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2039/2	0.032
2041	0.125
2005	0.186
2036/1	0.065
2040/3	0.093
2004	0.251
2038	0.125
	योग : 0.877

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मिठौरी जलाशय की मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु ग्राम सिंहपुर की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र.-दस-भू-अर्जन-फा. 553-प्र. क्र.-14-अ-82-2010-11-4684.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,

सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—अंतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.288 हेक्टर

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
76	0.049
81	0.197
79	0.141
145	0.101
194	0.161
264/1	0.089
266	0.101
268/26	0.101
268/33	0.028
268/35	0.028
268/37	0.041
269/2	0.101
77	0.141
78	0.141
80	0.197
195	0.101
197	0.181
264/2	0.089
268/16	0.020
268/32	0.041
268/34	0.028
268/36	0.061
268/40	0.049
277	0.101
योग :	2.288

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बंधवा जलाशय योजना की बांयी मुख्य नहर में प्रभावित ग्राम अंतरा की कुल 2.288 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 47-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-34-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—जामली मूंदी
(घ) कुल अर्जित रकबा—0.90 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
90	0.06
91/1	0.03
92	0.04
93	0.04
94	0.01
95/1	0.01
95/2	0.04
96	0.15
115	0.09
116	0.08
117	0.07
120	0.03
121/1	0.12
121/2	0.09
123/1	0.04
योग :	0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 35-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-35-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—देवलामाफी

(घ) कुल अर्जित रकबा—1.79 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
8	0.06
10/1	0.10
10/2	0.20
11	0.02
18/1	0.50
18/2	0.07
19	0.11
35/1	0.05
35/2	0.05
35/3	0.05
36	0.10
145/1	0.10
145/2	0.07
146	0.06
147	0.06
148/1	0.05
148/2	0.03
150	0.01
151	0.10
योग	: 1.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 36-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-36-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—पिपलकोटा

(घ) कुल अर्जित रकबा—2.95 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
24	0.27
28	0.10
29	0.04
30/1	0.17
36/1	0.20
36/2	0.12
39/1	0.11
39/2	0.07
40/3	0.12
219	0.10
220	0.17
233/1	0.01
234	0.04
235	0.06
240/1	0.06
240/3	0.14
241/3	0.01
241/5	0.15
241/6	0.03
242	0.05
243/1	0.01
257/2	0.06
258	0.08
285/1	0.08
285/2	0.11
285/3	0.15
287/1	0.08
287/2	0.09

(1)	(2)
287/3	0.10
288	0.10
289/3	0.07
	योग : 2.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 45-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-37-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—बोन्दूल

(घ) कुल अर्जित रकबा—1.32 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
155	0.17
168	0.07
169/1	0.03
169/2	0.03
170	0.04
171	0.04
187	0.20
195	0.04
196	0.11
200	0.07
201	0.07
211	0.11
212/1	0.08
212/2	0.18
212/3	0.08
	योग : 1.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 48-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-38-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—माथनी

(घ) अर्जित रकबा—0.04 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
196	0.04
	योग : 0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 46-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-39-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—फतेहपुर मूंदी

(घ) कुल अर्जित रकबा—0.70 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
24/4	0.23
38	0.07
39	0.03
40	0.04
41	0.05
42	0.06
43/1	0.11
43/2	0.11
	योग : 0.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 51-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-40-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—सोमगांव

(घ) कुल अर्जित रकबा—0.45 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.10
4	0.01
6	0.16
7/1	0.04
7/2	0.07
145/1	0.07
	योग : 0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 52-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-41-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—भैसावां

(घ) कुल अर्जित रकबा—1.82 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
173	0.04
174	0.10
195/1	0.04
195/3	0.08
195/4	0.05
195/5	0.05

(1)	(2)
195/6	0.08
196	0.11
197/2	0.21
425	0.05
426/1	0.21
426/2	0.02
427	0.14
428/1	0.15
439	0.11
487/1	0.25
688	0.10
690	0.03
योग	: 1.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 54-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-42-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—गोराड़िया
(घ) कुल अर्जित रकबा—2.24 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10	0.08
524	0.08
526/2	0.17
527/1	0.12
528	0.03
531	0.01
532	0.07
533	0.05
534	0.05
535/1	0.11
535/2	0.11
535/3	0.11
535/4	0.05
540	0.08
543/1	0.15
543/3	0.04
543/5	0.07
544/2	0.20
546/2	0.06
551	0.07
553	0.08
568	0.03
630	0.05
631	0.02
633	0.17
639	0.10
640	0.08
योग	: 2.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 53-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-43-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—जामली सैयद

(घ) कुल अर्जित रकबा—1.04 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
132/2	0.08
132/3	0.24
132/4	0.02
153	0.10
155	0.10
156	0.05
159	0.10
160	0.13
174	0.02
175	0.08
176	0.04
177	0.04
179	0.04
	योग : 1.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 75-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-52-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—सहेजला

(घ) कुल अर्जित रकबा—5.28 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
24	0.08
25	0.15
27/1	0.11
27/2	0.06
31/1	0.01
31/2	0.12
31/3	0.12
31/4	0.13
32/4	0.10
54/3	0.10
55	0.26
57	0.02
58	0.12
67	0.25
73/1	0.01
73/2	0.03
74	0.08
75	0.27
91/2	0.09
217	0.13
219	0.05
220/1	0.01
481/1	0.03
482	0.03
483	0.11
484/1	0.14
484/2	0.07
484/3	0.12
486	0.13
487/3	0.08
496/1	0.14
496/2	0.12
546/2	0.20
547/1	0.05
547/2	0.04
547/3	0.04
556	0.03
608/1	0.09
608/2	0.11
610	0.21
617	0.01
618	0.26
621	0.13
622/1	0.11
627	0.03
628	0.06
629/3	0.04
629/4	0.07

(1)	(2)
629/6	0.06
629/8	0.02
629/9	0.08
682	0.05
683	0.06
684	0.08
685/1	0.08
685/2	0.10
योग	: 5.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-53-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—देवला रैयत
(घ) अर्जित रकबा—0.68 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
101/2	0.04
105	0.14
106/3	0.03
106/4	0.03
106/5	0.03
174/1	0.03
174/2	0.04
174/3	0.05
174/4	0.02
175/1	0.12
176/1	0.14
179/1	0.01
योग	: 0.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-54-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—खुटलाखुर्द
(घ) अर्जित रकबा—1.57 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
36/2	0.08
38/6	0.12
42/1	0.08
43	0.04
44/1	0.11
47	0.12
48	0.04
50	0.05
51	0.03
57/1	0.02
57/2	0.07
57/3	0.08
57/4	0.06
57/5	0.06
58	0.10
87	0.02
88	0.06
89/1	0.05
89/2	0.08
148/1	0.01
150	0.25
153	0.04
कुल योग	: 1.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-55-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—पिपलकोटा

(घ) अर्जित रकबा—1.40 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
72	0.15
74	0.07
88/1	0.14
89	0.10
90	0.34
325	0.01
327	0.16
328	0.09
428	0.06
429	0.03
431	0.04
433/1	0.04
433/2	0.01
433/4	0.03
433/5	0.06
433/6	0.07
कुल योग :	1.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2011

प्र. क्र. 01-भू. अ.-ए-82-10-11-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) नगर/ग्राम—कढैया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.430 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
18/1	0.700
18/2	0.100
39/1	0.150
39/2	0.020
25	0.320
45/128	0.010
92	0.050
45	0.050
93	0.220
97	0.530
95	0.500
99	0.270
96	0.510
कुल योग :	3.430

भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-भू. अ.-ए-82-10-11-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—करोदखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—67.810 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
2	1.390
3	0.810
4	0.640
5	1.000
6	0.900
7	0.130
85/189	0.430
8	0.200
9	0.050
10	0.750
11	1.780
4/199	0.230
10/200	0.120
61/1	0.190
55/2	0.150
61/2	0.620
56	0.500
57	1.200
60	0.660
69	0.700
58	2.040
74	0.500
77	0.040
78	0.900
59	1.250
62	0.710
63/1	0.400
64	0.110
68	0.050
70	0.240
80	0.100
73/2	0.760
79	0.150
73/1	0.910
81/1	0.330
81/3	0.340
81/2	0.330
84	0.360
84/202	0.170
85/1	1.070
85/2	0.160
94/1	0.910
83/1	0.530
83/2	0.530
86	2.060
87	0.160
89	1.470
88	0.500
90	4.300
92	3.180
91	1.570
93	3.230
102	0.250
94/2	0.790
116/1	0.800
94/3	1.200
103	0.240

(1)	(2)
116/2	0.800
100	2.470
101	0.630
104	0.300
105/1	0.410
105/2	0.800
106	0.350
109	0.120
110	0.570
111	0.300
112	0.210
107	0.600
108	0.950
182/192	1.240
114	0.400
115	4.200
116/204	0.100
116/3	0.610
118	0.410
171/2	0.800
174	1.150
175	0.180
176	0.200
180	0.500
182	0.110
184	0.600
73/203	0.010
184/194/1	1.500
184/194/2	0.220
183/193	0.650
87/198	0.280
94/4	1.050
कुल योग :	67.810

भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-भू. अ.-ए-82-10-11-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) नगर/ग्राम—कनेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.258 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
24	0.170
25	0.500
26	0.500
29	0.330
30	0.630
31	0.730
52/1	0.228
53	0.340
52/2	0.100
54	0.730
कुल योग :	4.258

भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-भू. अ.-ए-82-10-11-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—मोमनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.020 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13	0.460
14	2.700
15	0.150
17	0.200
18	0.150
22	0.270
23	0.160
24	0.590
28	0.200
30	0.140
31	0.150
32	1.150
34	0.120
49/2	0.450
49/3	0.050
51/1/1	0.680
51/2	0.400
कुल योग :	8.020

भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 1 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 1 अ-82-वर्ष-2009-2010-भू-अर्जन-6447.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—घोड़ाडोंगरी
(ग) नगर/ग्राम—आमडोह प. ह. नं. 76
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.011 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
194	1.011
कुल योग :	1.011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—बटकी जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं.-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03 अ-82-वर्ष-2009-2010-भू-अर्जन-6450.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—घोड़ाडोंगरी

(ग) नगर/ग्राम—गोपीनाथपुर प. ह. नं. 78

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.173 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
165	0.060
190	0.015
195	0.174
196	0.981
197	1.125
199	1.008
203	0.315
204	1.000
205	0.823
206	0.522
211	0.150
योग :	6.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं.-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04 अ-82-वर्ष-2009-2010-भू-अर्जन-6445.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—घोड़ाडोंगरी

(ग) नगर/ग्राम—शांतिपुर प. ह. नं. 78

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.242 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.750
3	0.750
4	0.400
9	0.060
10	1.075
11	0.370
21	0.020
26	0.110
13	0.025
20	0.030
22	0.150
46	0.402
48	0.100
योग :	4.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं.-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05 अ-82-वर्ष-2009-2010-भू-अर्जन-6449.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—घोड़ाडोंगरी

(ग) नगर/ग्राम—सालीवाड़ा प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.700 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
93/2	0.080
93/4	0.250
94	1.060
95/1	0.550
95/2	1.200
95/4	0.560
	योग : 3.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं.-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07 अ-82-वर्ष-2009-2010-भू-अर्जन-6444.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—घोड़ाडोंगरी

(ग) नगर/ग्राम—गोल्हई खुर्द प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.210 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
97/1	0.060
97/2	0.080
106	0.060
108/3	0.100
108/4	0.060
108/5	0.060
109	0.075
110	0.080
111	0.090
115/6	0.245
122	0.300
	योग : 1.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं.-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08 अ-82-वर्ष-2009-2010-भू-अर्जन-6448.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—घोड़ाडोंगरी

(ग) नगर/ग्राम—सालीवाड़ा प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.401 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
83	0.675
92	0.468
93/1	0.032
93/2	0.052

(1)	(2)
93/3	0.032
93/4	0.032
93/5	0.032
93/6	0.032
97/1	0.190
100	0.934
104	0.288
102	0.110
103/1	0.200
103/2	0.120
103/3	0.015
94	0.189
योग :	3.401

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं.-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09 अ-82-वर्ष-2009-2010-भू-अर्जन-6446.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—घोड़ाडोंगरी

(ग) नगर/ग्राम—बटकीडोह प. ह. नं. 76

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.580 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
403	0.680
398	0.345
400	0.085
390	0.360
388	0.200
387	0.580
409	0.159
312	0.130
270	0.100
272	0.050
281	0.195
402	0.605
399	0.260
397	0.016
389	0.358
442	0.500
386	0.090
395	0.352
307	0.280
269	0.010
275	0.225
योग :	5.580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—बटकी जलाशय के बांध व नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं.-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 23 अगस्त 2011

प्र. क्र. 163-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	हथकुरी	निजी भूमि 1.00 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा . . 1.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरा तालाब परियोजना बांध निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 164-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	सिमराकला	निजी भूमि 5.00 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा . . 5.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरा तालाब परियोजना बांध निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 167-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	गडोखर	निजी भूमि 8.615 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.235 हे. कुल रकबा . . 8.850	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 168-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	द्वारी	निजी भूमि 10.902 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.418 हे. कुल रकबा . . 11.320	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 169-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	बरौंहा	निजी भूमि 0.956 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.069 हे. कुल रकबा . . 1.025	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 170-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	बलगहा	निजी भूमि 4.923 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.686 हे. कुल रकबा . . 5.609	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 171-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	कचौरा	निजी भूमि 1.003 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.046 हे. कुल रकबा . . 1.049	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 172-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	बॉधीकला	निजी भूमि 7.818 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.255 हे. कुल रकबा . . 8.073	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	डोभा जलाशय योजना का नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 173-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	बॉधीकला	निजी भूमि 85.84 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा . . 85.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	डोभा जलाशय योजना का तालाब निर्माण डूब क्षेत्र बंड लाई निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 174-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	बरबसपुरा	निजी भूमि 3.903 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा . . 3.903	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	डोभा जलाशय योजना का नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 175-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	कछगंवा	निजी भूमि 67.150 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 115.315 हे. कुल रकबा . . 182.465	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 176-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	ककरहाई	निजी भूमि 4.079 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.173 हे., कुल रकबा . . 4.252	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. 1640-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 26-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	आवली	2.968	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), ठीकरी, जिला-बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1639-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 27-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	संदेवा	2.986	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर,सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), ठीकरी, जिला-बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1638-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 28-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	हरिबड़	0.061	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बढ़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), ठीकरी, जिला-बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1637-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 29-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	पान्या	2.060	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), ठीकरी, जिला-बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1636-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 30-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	केशरपुरा	2.055	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1641-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 31-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	गोलाटा	3.563	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), ठीकरी, जिला-बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1655-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 34-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	निवाली	मेरखेड़ी	1.040	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	बड़गांव तालाब की नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1656-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 35-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	निवाली	बोरली	7.027	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	बड़गांव तालाब की नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1657-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 36-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की

उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	निवाली	वासवी	3.084	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	बड़गांव तालाब की नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1658-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 37-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	सालीकला	11.033	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	सालीकला तालाब योजना के बांध एवं नहर हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, ठीकरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1659-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 38-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	सेंधवा	लवाणी	4.911	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	सालीकला सिंचाई तालाब के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुभाग-ठीकरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 27 अगस्त 2011

रा. प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	बहोरीबंद	नैगवां प.ह.नं. 01,	5.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग कटनी.	खलरहा जलाशय एवं नहर कार्य.
		बघराजकलॉ प.ह.नं. 02	1.10		
			योग : 6.42		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. RPB-08-11-12-प्र. क्र. 02-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इससे इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जत किया गया रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	सिलवानी	सालाबरू	97/1/1	2.023	2.023	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	बांध डूब क्षेत्र हेतु सालाबरू जलाशय
			87/2/1				
			88/2/1				
			87/3/1	0.607	0.607		
			89/2/	0.316	0.316		
			88/4	0.372	0.372		
			63	1.546	1.000		
			64	0.579	0.579		
			65	0.571	0.571		
			62/2	1.619	1.619		
			88/6	0.672	0.672		
			87/3/2	2.379	0.500		
			66	1.096	1.096		
			योग	11.780	9.355		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 346-11-12-प्र. क्र. 02-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इससे इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	अर्जत किया गया रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	गैरतगंज	सलहपुर सूरबरू	31	1.934	0.300	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	बांध के डूब क्षेत्र हेतु बोरपानी जलाशय.
			32	0.975	0.200		
			92/31/3	1.983	0.306		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			92/31/4	1.983	0.900		
			92/31/5	2.023	0.480		
			92/31/1	2.023	0.200		
			92/31/2	1.612	0.200		
			33/2/1	0.166	0.050		
			33/2/2	0.166	0.050		
			33/2/3	0.166	0.050		
			33/2/4	0.166	0.050		
			33/3	5/261	0.450		
			योग	18.458	3.236		
		किशनपुर	226/1/4	1.900	0.950		
			226/10	1.283	0.280		
			226/1/6	1.899	0.120		
			226/1/2	2.051	0.280		
			226/1/3	2.023	0.800		
			226/15	1.278	0.240		
			226/16	0.688	0.300		
			226/13	1.278	0.278		
			योग	12.400	3.248		
			महा योग	30.858	6.484		

भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त 2011

प्र. क्र. 7-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल एकड़ में			प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			खसरा नं.	रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में)		
रायसेन	गौहरगंज	खेरीटप्पा बड़वाई	6	1.785	0.357	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	चपलासिर तालाब के स्पल चैनल मुख्य नहर एवं उपनहर.
			5	3.035	0.397		
			12/1	1.214	0.283		
			13/2/1	0.507	0.057		
			13/1/2	0.396	0.061		
			13/1/3	0.607	0.178		
			14	0.837	0.121		
			18/2	4.193	0.364		
			15/3/2	0.918	0.194		
			15/3/1	2.428	0.028		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
		चपलासिर	182	5.176	0.749	
			184/3/1	1.336	1.335	
			184/5	2.023	0.243	
			187	1.935	0.016	
			188/3	0.101	0.008	
			189/1	0.809	0.105	
			189/2	1.214	0.158	
			189/5	0.809	0.049	
			189/3	1.214	0.174	
			189/4	1.619	0.125	
			189/6	0.809	0.073	
			189/7	1.619	0.121	
			209	1.214	0.184	
			217	5.455	0.316	
			205/1	2.477	0.323	
		खैरीटप्पा बड़बाई	1	3.193	0.174	
			7/1	0.809	0.016	
			7/2	1.910	0.073	
			4/1	2.266	0.214	
			12/2	0.311	0.016	
			48/1	1.821	0.323	
			54/1	0.506	0.049	
			54/2/1	0.716	0.178	
			54/2/2/1/1	0.093	0.040	
			54/2/2/1/2	0.513	0.057	
			49/3	1.416	0.162	
			82/1	1.279	0.223	
			82/2	1.011	0.020	
			81/1	0.457	0.057	
			81/2	0.696	0.089	
			91/3	2.023	0.045	
			91/4	2.023	0.243	
			93	1.680	0.174	
			94/2/1	1.060	0.049	
			94/1/2	0.161	0.028	
			94/2/2	0.942	0.125	
		समनापुरकला	70/2	0.450	0.081	
			70/3	0.695	0.040	
			72	0.186	0.012	
			376	2.000	0.101	
			योग	71.947	8.610	

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 1242-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सुपिया	0.016	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना का शीर्ष कार्य के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 1244-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 की धारा-17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	कोटर कोठार	15.74 योग : 15.74	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1246-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 की धारा-17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	अबेर	5.078	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		कोठार	योग : 5.078		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1248-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 की धारा-17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	पवइया	0.480	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा नहर की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		कोठार	योग : 0.480		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 13195-भू-अर्जन-2008.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	कुण्डीबे	3.933	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कुण्डीबे तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	चॉदपुरा	5.665		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़/भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13197-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	नेगड़िया	9.728	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	जगन्नाथपुरा तालाब के निर्माण में बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
		मयापुरा	0.249		
		जगन्नाथपुरा	7.611		
		कुल योग :	17.588		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13199-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	रूगनाथपुरा	0.566	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	रघुनाथपुरा तालाब की नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
		चुवाड़ल्या	0.048		
		प्रेमपुरा	0.444		
		कुल योग	: 1.058		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13209-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	रूपाहेड़ा	22.282	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	रूपाहेड़ा तालाब के निर्माण में बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
		पुरा रूपाहेड़ा	3.360		
		कुल योग	: 25.642		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2011

क्र. 6747-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	ग्राम-चाटवा ब.नं. 123 प.ह.न. 23 रा.नि.मं. नांदनवाड़ी	रकबा 01.986 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)	बिछुआसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6748-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची की खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध

में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	ग्राम गोरलीखापा ब.नं. 105, प.ह.न. 39, रा.नि.मं. नांदनवाड़ी.	रकबा 01.031 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	बिछुआसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6749-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	ग्राम-भाजीपानी ब.नं. 174, प.ह.न. 15, रा.नि.मं. नांदनवाड़ी	रकबा 2.320 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	भाजीपानी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6750-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	ग्राम-धनौरा ब.नं. 201 प.ह.न. 11 रा.नि.मं. नांदनवाड़ी	रकबा 24.781 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)	उत्तमडेरा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6751-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	ग्राम-धनौरा ब.नं. 201 प.ह.न. 11 रा.नि.मं. नांदनवाड़ी	रकबा 03.060 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)	उत्तमडेरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6752-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-पंचालखापा, ब. नं.-223, प. ह. नं.-12/26, रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 78.823 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध/नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा,जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग-पांढुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6753-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-अम्बाखापा ब. नं.-13, प. ह. नं.-11, रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 06.247 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा,जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग-सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6754-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लियै प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सिंगपुर, ब. नं.-390, प. ह. नं.-36, रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 01.137 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा,जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग-सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6755-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों

को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-पंधराखेड़ी, ब. नं.-221, प. ह. नं.-12, रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 05.887 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6756-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-छत्रापुर, ब. नं.-140, प. ह. नं.-12, रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 05.100 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) के जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6757-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सांवगी, ब. नं.-382, प. ह. नं.-12, रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 03.650 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6758-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत

करता है इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-पठरा निस्फ, ब. नं.-319, प. ह. नं.-15, रा. नि. मं.-सांवरी.	रकबा 39.200 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	नारंगी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6759-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-नारंगी ब. नं.-297, प. ह. नं.-15, रा. नि. मं.-सांवरी.	रकबा 8.612 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	नारंगी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6760-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-भजिया, ब. नं.-215, प. ह. नं.-37, रा. नि. मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 01.140 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6761-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-नंदौरा ब. नं.-144, प. ह. नं.-39, रा. नि. मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 02.760 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, संभाग-अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6762-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-कोल्हिया ब. नं.-38, प. ह. नं.-38, रा. नि. मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 01.100 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, संभाग-अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6763-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-नंदौरी ब. नं.-145, प. ह. नं.-23, रा. नि. मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 01.830 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, संभाग-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6764-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-रजोला ब. नं.-245, प. ह. नं.-39, रा. नि. मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 05.050 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, संभाग-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6765-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-चिमउआ ब. नं.-87, प. ह. नं.-35, रा. नि. मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 02.134 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत बांध/नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, संभाग-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6766-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-मंदानगढ़ ब. नं.-223, प. ह. नं.-38, रा. नि. मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 02.370 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, संभाग-अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 1 सितम्बर 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-2991-राजस्व पत्रक क्र. अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	थांदला	रन्नी	1.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र-1, झाबुआ.	ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु
		योग. .	1.22		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-459-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुका	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	अशोकनगर	वरखेड़ा छज्जू	132.429	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर (म.प्र.).	वरखेड़ा छज्जू बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 23 अगस्त 2011

प्र.क्र. 005-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—जनकपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.351 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1 घ	1.820
1/1 च	1.880
1/1 छ	2.023
1/1 ज	2.023
1/1 झ	1.009
1/1 ड़	0.700
1/1	1.425
1/2	1.820
2	0.809
3	0.580
9/1	2.948
09/2	0.600
64/1053	2.280
9/2	0.134
9/3 क	0.150
11	0.150
कुल रकबा निजी भूमि :	20.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 084-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—दिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.67 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29	0.17
95	0.28
123	0.05
124	0.01
119	0.04
118	0.11
117	0.02
126	0.14
116	0.01
184	0.12
183	0.09
232	0.09
37/1	0.09
37/2	0.09
96/2	0.05
96/1	0.03

(1)	(2)
122/1	0.02
121/1	0.07
121/2	0.07
185/1	0.06
185/2	0.06
कुल रकबा निजी भूमि : 1.67	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 088-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—पगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.26 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1235	0.17
1236	0.06
1237	1.00
1244	0.11
1283	0.10
1284/1	0.10
1243	0.10
2440	0.20
2448	0.20
2444	0.15
1247	1.31
1263	0.06
1328	0.08
2438	0.05
1249	0.15
1253	0.34
1327	0.03
1332/1	0.45
1250	0.54
1252	0.20
1256	0.27
1223/2	0.43
1254	0.19
1255	0.15
1257	0.30
1261	0.16
1264	0.07
1265	1.43
1266	0.10
1267	0.07
1268	0.73
1272	0.10
1337	1.00
1259	0.18
1260	0.22
1322/2	0.06
1269	0.16
1270	0.20
1271	0.40
1286	0.01
1284/2	0.01
1285/1	0.22
1285/2	0.23
1287/1	0.09
1322/1	0.14
1287/2	0.09
1288	0.24
1311	0.05
1313	0.10
1314	0.13
1289	0.02
1290	0.23
1291	0.10
1294	0.06

(1)	(2)
1316	0.12
1318	0.11
1296	0.07
1292	0.08
1293	0.03
1295	0.05
1304	0.08
1305	0.04
1302	0.04
1307	0.06
1308	0.08
1309	0.17
1310	0.21
1312	0.30
1319	0.18
1315	0.09
1317	0.11
1320	0.11
1321	0.11
1322/1	0.27
1322/1	0.14
1322/1	0.10
1322/2	0.40
1330/1	0.25
1330/2	0.20
1331/1	0.05
1331/2	0.04
1333	0.14
1334	0.42
1351	0.07
1358	0.10
1359	0.10
1363	0.70
1366	0.05
1360	0.10
2437	0.35
2441	0.20
1273	0.20
कुल रकबा निजी भूमि : 19.26	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 096-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—कोठीटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.40 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
389/2	0.20
395/3	0.10
395/4	0.35
396	0.90
405	0.35
397/1	0.93
398/1	0.04
397/2	0.93
398/2	0.04
399	0.40
403/1	1.30
403/2	0.22
401	0.50
408	0.07
409	0.38
413	0.06
414	1.44
415	0.25
417	0.78
43	0.12
48	0.70
118	0.26
116	0.16
120	0.18
127	0.02
128	0.01
122/2	0.10
129/1ख	0.02
136	0.10

(1)	(2)
134	0.07
157	0.05
133/2	0.02
251	0.12
252	0.18
256	0.43
270/1	0.04
290/2	0.02
268	0.15
269	0.08
289	0.10
287	0.20
286	0.20
285	0.01
333 /	0.07
334	0.04
318	0.08
319	0.13
379	0.30
378	0.01
394	0.16
400	0.17
399	0.02
288	0.01
253	0.02
129/1क	0.08
129/2	0.08
130/2	0.04
130/3	0.04
131/1	0.03
133/1	0.07
135/1	0.01
135/2	0.12
335/2	0.10
320/2	0.01
377/1	0.08
377/2 क	0.08
254/1	0.07
कुल रकबा निजी भूमि	: 14.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 118-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—मझगंवाशेख
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.818 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर /	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
324	0.158
325	0.017
326	0.005
345	0.340
346	0.013
353	0.053
358	0.027
359	0.047
360	0.139
362	0.012
401	0.014
402	0.183
404	0.003
405/1	0.031
406	0.003
410	0.068
411	0.009
412	0.335
437	0.016
438	0.160
439	0.185
कुल रकबा निजी भूमि	: 1.818

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 154-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—बनहरी खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—35.57 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
155	1.76
103	1.10
149	0.79
150	0.49
152	1.04
144	1.00
145	0.15
105	0.12
146/1	0.25
232	0.80
233/2	0.52
240	0.26
213	0.26
263/1	0.60
263/2	1.12
174	0.10
265	2.27
266/1	1.26
266/2	1.27
266/3	1.02
272	0.73
273	0.12
241/2	2.00
243	0.65
252/312	0.40
234/2	1.00
237	0.90
244	0.15
260	2.07
242	0.97
261	2.02
245	0.45
259	0.60
256	1.25
111	1.27
125	1.14
112	0.14
124	0.56
193	0.40
198	0.18
211	0.32
194	0.10
195	0.23
280	0.12
196	0.11
210	0.08
212	0.47
216/1	0.10
216/2	0.02
216/3	0.02
216/4	0.02
218	0.23
219/2	0.02
219/3	0.03
219/4	0.02
220	0.04
221	0.17
296/1	0.11
110	0.03
109	0.05
108	0.10
कुल रकबा निजी भूमि	: 35.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—छोटी बनहरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 159-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—विक्रमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—54.93 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
72	0.13
74	0.43
77	0.04
69	0.15
122	0.19
76	0.20
121	0.25
124	0.09
81	1.60
82/1	0.35
86	0.19
100	1.67
87	0.48
88	0.35
657	1.39
84	0.55
89	1.75
90	0.20
92	0.43
94	0.30
91	0.53
95	0.34
96	0.45
(1)	(2)
75	0.00
97	0.75
99	1.41
125	0.28
98	1.25
102	1.87
103	1.70
104	1.45
105	0.58
111	1.47
107	0.08
108	0.08
109	0.05
112	1.03
113	1.11
110	0.40
114	0.22
115	0.11
116	0.01
117	0.33
118	0.86
119	1.02
120	0.17
123	0.49
126	0.02
206	0.13
223	0.15
609	0.04
618	0.45
907	0.00
619	0.16
627	0.07
628	0.25
629	0.04
634	0.40
639	0.20
671	0.83
640	0.05
643	1.64

(1)	(2)
644	1.19
660	2.70
661	0.41
651/1	0.50
651/2	0.07
652	0.10
653	0.06
656	0.18
666/1	0.51
665	0.70
879	0.90
696	1.00
688	0.08
689	0.05
691	0.23
700	0.79
692	0.47
699	0.06
693/1	1.27
693/2	2.00
710/2	0.33
728	0.22
731	0.10
732	0.71
733	0.10
739	0.10
740	0.71
741	0.05
747	0.05
868	0.33
737/2	0.39
738	0.12
869/1	0.43
869/2	0.20
876	0.08
877	0.14
778	0.68
883	0.24
884	0.18
888	0.34
891	0.15
666/2	0.48
666/3	0.47
315	0.17
316	0.08
459	0.04
462	0.01
482	0.06
483	0.01
485	0.01
514	0.08
515	0.12
516	0.01
460	0.03
461	0.03
535	0.09
536	0.05
537	0.03
582	0.05
540	0.03
581	0.10
583	0.06
584	0.04
587	0.08
588	0.08
589	0.25
590	0.03
631	0.05
630	0.08
629	0.06
1314/1916	0.09
1314/1916	0.03
कुल रकबा निजी भूमि	: 54.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—द्वारी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 160-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पन्ना

(ग) ग्राम—हीरापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.26 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98/3	2.00
98/4	1.50
98/6	0.76
98/7	3.00
कुल रकबा निजी भूमि :	7.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पहाडीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 162-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—विश्रामगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—238.83 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
308/1	0.21
308/3	0.21
308/5	0.21
314/2	0.11
317/2	0.11
320	0.39
321/3	0.39
47/2	0.31
296	0.34
308/2	0.21
308/4	0.21
308/6	0.21
314/1	0.10
317/1	0.11
321/1	0.29
321/2	0.29
321/4	0.21
219	0.63
376	0.77
380	1.23
455/2घ	1.40
149/2क	0.80
149/2ख	0.80
411	0.67
414	0.34
448/2	0.89
61/2	0.10
101	0.32
112	1.05
118	0.23
120	0.31
72	0.66
392	0.49
50	1.16
104	0.97
66	0.93
387	0.83
423	0.30
433	0.31
12	0.45
312	0.18

(1)	(2)	(1)	(2)
94	0.20	354	0.17
95	0.21	205	0.49
170	0.86	235	0.54
171	0.25	60	0.41
172/2	0.70	62/2	0.40
174/1	0.20	59	0.60
161	0.35	223	1.43
165	1.17	209	0.93
168/2	0.48	363/1ख	0.32
372/2	0.39	47/3	0.31
377	0.16	347	0.22
418	0.09	290/464	0.24
419	0.37	30/2	0.63
429	0.19	74/2	0.08
119	0.22	443	1.16
128	0.35	157	1.03
395	0.52	158	0.13
396	0.43	200	1.00
110	0.54	236	0.50
233	0.19	260	0.90
237	0.35	111	1.59
342	0.04	361	0.42
344	1.23	123/1	1.14
26/1	0.49	125	0.04
38/1	0.18	17/2	0.14
46	0.64	19	1.87
107	0.72	325	0.75
375	0.73	327	0.21
20/1	0.12	393	0.20
24	0.70	429	0.30
138	1.11	102/2	1.07
455/2ग	1.40	105	0.80
456/1	2.00	448/1	2.00
98	1.83	51	0.36
36	0.33	135	1.14
16	0.30	136/2	0.37
390	0.40	372/1	0.39
357/2	0.60	130	0.17
114/2	0.66	131/2	0.09
300/3	0.39	383	0.40
79/1	0.80	355	0.13
126	0.27	360	1.01
131/3	0.06	29	1.19
133	0.52	78	0.04
35	1.22	140	1.08

(1)	(2)	(1)	(2)
127	0.23	263/1/2ख	0.32
378/1	0.48	446	0.82
378/2	0.49	62/1	0.75
391/1	0.41	438/2	0.79
442	0.54	267	0.27
13	0.32	272	1.69
315	0.19	20/2	0.94
393/458	0.20	139	0.80
429/461/2	0.30	379	0.73
291	0.18	417	0.95
293	0.31	47/1	0.30
324	0.15	239	0.39
455/2ख	1.40	294	0.46
30/3	0.62	102/1	1.07
94/3	0.09	255/2क	1.60
43	0.44	146	0.91
357/1	0.15	134	1.13
30/1	0.63	303	1.50
74/1	0.08	337/2	1.57
416	0.44	343	0.32
326/1	0.15	278	0.13
174/2	2.00	279/1	1.64
142	0.91	204	0.12
353	0.90	290/2	0.60
356	0.27	114/3	0.65
55	0.36	300/2	0.80
26/2	0.49	309	0.31
38/2	0.19	438/1	0.78
393/459	0.20	126	0.27
429/462	0.25	131/3	0.06
69	1.14	133	0.52
305	0.48	292	0.16
307	0.29	295	0.76
311	1.06	297	0.38
420	0.14	319	0.46
393/460	0.20	323	0.34
429/463	0.40	326/2	0.46
116	0.97	225	0.04
290/1	0.20	228	0.11
298	0.31	241	0.14
252	0.58	255	0.05
253	0.58	257	1.55
222	0.03	287	1.51
226	1.43	289	1.01

(1)	(2)	(1)	(2)
189/2क	0.17	275	1.70
206	1.18	149/1	1.77
264	0.11	263/1क	0.64
237/1क	1.00	237/1	2.00
370	1.40	79	0.81
440	1.05	397	0.61
398/2	1.04	398/1	0.42
434	1.80	403	1.15
45	0.58	42	0.03
385	1.25	43	1.37
99	0.89	44	0.44
114/1	0.20	65	0.34
121	1.19	362	0.68
300/1	0.39	366	2.34
227	0.05	49	1.52
229	1.44	54	0.13
242	0.15	58	0.44
254	0.06	103	0.76
256	1.55	106	0.67
285	0.03	6	1.50
286	1.50	7	0.33
288	1.00	8	1.87
40	0.52	9	0.55
41	1.74	232	0.85
64	0.04	234	0.02
202	1.63	243	0.32
203	0.47	244	0.09
211	0.04	245/1	1.49
263/1क	0.64	247	0.12
302	0.92	248	2.20
348	2.86	270	0.05
251	0.62	271	0.16
259	1.14	276	0.05
313	0.31	277	1.96
334	1.36	306	0.47
369	0.31	113	1.51
363	0.44	316	0.55
374	0.29	329	0.01
386	1.20	330	1.53
182/1	0.13	409	0.27
187/1	0.66	424	1.30
249	0.14	426	0.54
250	1.62	430	0.45
280	0.09	449	0.60
281	0.52	195	1.50

(1)	(2)
196	0.01
201	0.24
194	0.03
215	1.04
216	1.96
217	0.46
238	0.71
279/2	0.38
96	0.40
282	0.26
283	0.09
284	1.07
258/457	0.98
23	1.69
231	0.04
258	1.06
268	0.06
265	0.48
266	0.04
290	0.65
304	0.40
335	0.07
336	4.29
338	0.58
339	0.71
147/2	1.58
160/2	0.38
207/2	0.67
240/2	0.46
261/2	0.25
269/2	0.10
76	0.68
87	0.68
90	0.84
91	0.10
151	0.54
218	0.47
384	0.80
182/1	0.13
187/1	0.66
147/1	1.57
159	0.06
160/1	0.32
207/1	0.67
240/1	0.47
261/1	0.26
269/1	0.10
149/3	0.36
150	0.21
156	0.16
162	0.53
208	0.43
263/1क	0.61
301	0.61
337/1क	0.99
212	0.81
299	0.31
63	1.11
153	0.24
154	0.06
155	0.15
15	0.36
21	0.08
92	0.36
182/1	0.13
220	0.70
229	0.65
369/1	0.21
374/2	0.25
386/3	0.29
369/2	0.10
373/1	0.20
374/1	0.04
386/1	0.40
373/2	0.24
386/2	0.50
कुल रकबा निजी भूमि	: 238.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रूँझ मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 25 अगस्त 2011

प्र.क्र. 017-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—किसन पाटन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.04 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
792	040
810	0.02
803	0.19
804	0.20
805	0.09
807	0.42
808	0.23
811	0.10
812	0.34
813	0.07
827	0.05
864/1916	0.86
843	0.19
846	0.31
853	0.32
854	1.50
855	0.02
858	0.20
895	0.33
856	0.19
859	0.20
887	0.62
892/2	0.22
860	0.53
861/1	0.20
861/2	0.25
875	0.53
876	0.52
878	0.04
886/1922	0.15
881	0.05
883	0.08
882	0.05
953	0.08
884	0.30
955	0.12
885	0.14
891	0.12
944	0.09
945	0.11
946	0.10
947	0.06
852	0.12
886	0.15
888	0.05
896	0.05
897	0.55
889	0.12
894/1921	0.50
892/1	0.40
894	0.97
898	0.07
913	0.40
914	0.40
915	0.18
918	0.20
934	0.17
935	0.17
919	0.32
920	0.46
928	0.06
940	0.20
942	0.07
943	0.13
948	0.13
954	0.22
757	0.10
758	0.10
745	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
1148	0.05	1019	0.06
1217	0.04	1313	0.11
1229	0.13	1020	0.01
1149	0.02	1065	0.10
1150	0.05	1066	0.05
1157	0.09	1314	0.02
1163	0.14	1137	0.15
1158	0.04	1085	0.02
1162	0.02	1088	0.07
1237	0.09	1089	0.04
1238	0.02	1091	0.01
1168	0.07	1092	0.07
1170	0.16	1086	0.07
1171	0.09	1087	0.05
678	0.06	1090	0.07
679	0.04	1135	0.01
680	0.03	1138	0.02
1173	0.05	1306	0.11
1198	0.02	1312/1919	0.07
1174	0.05	1315	0.04
1175	0.01	1316	0.07
1195	0.05	1317	0.02
1196	0.02	1336	0.08
1197	0.06	1369	0.02
1214	0.07	1370	0.08
1215	0.12	1371	0.02
1216	0.01	1339	0.02
1218	0.02	1340	0.09
1219	0.04	842	0.57
1220	0.06	829	1.00
1221	0.01	956/6	0.15
1231	0.05	879/3	0.40
1230	0.08	879/4	0.80
1241	0.10	868	0.18
1242	0.06	949	0.12
1243	0.09	950	0.07
1169	0.12	951	0.09
1160	0.05	952	0.12
1015	0.28	938	0.17
1016	0.01	939	0.16
1028	0.01	937	0.60
1393	0.08	921	0.61
1025	0.01	927	0.08
1026	0.08	928	0.08
1018	0.09	900	0.04

(1)	(2)
777	0.47
778	0.25
779	0.24
780	0.23
793	0.45
847	0.15
851	0.31
870	0.15
879/2	1.00
844	0.25
कुल रकबा निजी भूमि :	30.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बघवारकला तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 29-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—ककरहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.507 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80	0.065
83/2	0.048
84	0.242
85	0.085
87/1	0.267
87/2	0.264
88/2क, 88/2ख	0.812
93	0.579
94/1	0.146
94/2/क	0.070
94/2/ख	0.073
95	0.468
97	0.186
98/1क, 98/1ख	0.133
98/2	0.055
99	0.020
100	1.428
101/1	0.205
101/2	0.297
102	0.514
103	0.441
104/1	0.555
104/2	0.995
105/1	0.296
105/2	0.092
106/1	0.130
106/2	0.024
107/1	0.252
107/2	0.565
109	0.202
110/1	0.109
110/2	0.055
110/3	0.055
111	1.072
112/1	0.348
112/2	0.348
113	1.951
114	0.987
117	0.161
119	0.052
134	1.171
135	0.323
136/1	0.028
136/2	1.085
145	0.016
149/2	0.021
150	0.019
151	0.076

(1)	(2)
152	0.010
153	0.105
154	0.067
155	0.018
156	0.073
157	0.286
158	0.085
159	0.041
160	0.004
161	0.073
162	0.053
163	0.032
164	0.081
165	0.057
166	0.036
167	0.089
168	0.065
169	0.026
184	0.097
185	0.081
186	0.046
187	0.106
188/1	0.045
188/2	0.044
189	0.097
190	0.049
191	0.049
192	0.038
193	0.036
195	0.047
196/1, 196/2	0.013
200	0.056
201	0.061
276	0.055
कुल रकबा निजी भूमि :	19.507

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 063-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—सुड़ौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.07 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
392	0.18
1719/2	0.03
1717	0.06
1718	0.07
1716	0.01
1715	0.08
1714	0.07
1712	0.12
1713	0.02
1708	0.01
1734	0.02
1738	0.01
1739	0.02
1740	0.04
1741	0.01
1742	0.20
1744	0.10
1746	0.01
1719	0.03
1736	0.01
1745	0.08
1891	0.07
1875	0.01
1890	0.02
1892	0.02
1893	0.03
1894	0.06

(1)	(2)
1899	0.01
1769	0.08
1895	0.04
1896	0.07
1897	0.02
1874	0.14
2212	0.01
1873	0.01
2217	0.01
2239	0.06
2244	0.01
2218	0.17
2219	0.04
1220	0.05
2221	0.03
2229	0.01
2254	0.01
2222	0.01
2238	0.08
2245	0.01
2237	0.10
2246	0.01
2250	0.15
2253	0.01
3647/2	0.03
3646	0.02
3648	0.07
3644	0.01
3645	0.04
3643	0.01
3642	0.04
3641	0.03
3640	0.03
3604	0.04
3636	0.05
3637	0.05
3631	0.03
3611	0.02
3635	0.01
3632	0.02
3630	0.02
3626	0.02
3620	0.06
3625	0.02
3612	0.02
3621	0.06
388	0.06
391	0.03
1259	0.03
1327	0.05
1330	0.12
1756	0.09
1326	0.09
369	0.03
370	0.04
1255	0.02
1260	0.11
1261	0.09
1264	0.22
1333	0.14
1318	0.08
1316	0.56
1319	0.12
1320/1	0.10
1320/2	0.07
1320/3	0.08
1331	0.06
1341	0.06
1342	0.05
1343	0.09
1344	0.07
1358	0.15
1347	0.01
1359	0.15
1427/2	0.28
1438	0.08
1439	0.01
1435	0.01
1446	0.12
1447	0.07
1448	0.07
1449	0.29
1772	0.08
376	0.03
377	0.03
कुल रकबा निजी भूमि :	7.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 065-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—मेंहगवांतिलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.67 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
533	0.02
534	0.19
541	0.10
546	0.04
578	0.03
579	0.06
2466	0.08
547	0.06
548	0.05
555	0.05
557	0.02
558	0.02
559	0.08
560	0.02
580	0.06
581	0.07
584	0.02
624	0.05
593	0.06
594	0.05
595	0.08
1338	0.02
596	0.05
600	0.01
601	0.05
605	0.04
602	0.04
611	0.05
1322	0.09
1323	0.05
1324	0.02
1316	0.04
2574	0.04
656	0.01
663	0.02
1315	0.04
664	0.06
665	0.05
666	0.02
1321/2	0.01
670	0.04
786	0.87
787	0.75
904	0.02
905	0.02
906	0.38
907	0.02
958	0.10
959	0.08
970	0.12
971	0.05
975/2	0.08
975/3	0.05
975/4	0.60
1034	0.02
1081	0.08
1082	0.13
1083	0.11
1084	0.09
1047	0.10
1048	0.31
1097	0.23
1098	0.08
1055	0.15
1061	0.12
1056	0.10
1057	0.10
1058	0.12
1060	0.26
1069	0.12
1074	0.13
1075	0.07
1085	0.05
1091	0.04
1117/5	0.20

(1)	(2)
1117/6	0.45
1117/7	0.32
1117/8	0.20
1117/10	0.40
1117/11	0.50
1117/12	0.15
1117/13	0.10
1147	0.02
1148	0.11
1308	0.04
1309	0.08
1314	0.02
1321/1	0.01
1321/3	0.01
1339	0.06
2568	0.03
2573	0.05
2569	0.08
2571	0.07
2572	0.02
2575	0.04
2579	0.02
2580/2	0.09
2576	0.02
2455	0.07
2468	0.03
2456	0.03
2467/1	0.02
2469	0.02
2455/2	0.02
2481	0.09
2559	0.13
2581	0.02
2561	0.08
2567	0.08
2580/1	0.03
2588	0.26
2592	0.06
1584/3305	0.13
कुल रकबा निजी भूमि :	11.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 072-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—कचौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.78 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1353	0.03
1355	0.02
1356	0.06
1357	0.01
1358	0.04
1354	0.05
1354	0.07
1360	0.01
1488	0.04
1544	0.07
1976	0.03
1491	0.05
1492	0.05
1494	0.03
1495	0.04
1497	0.01
1498	0.05
1545	0.06
1534	0.04
1535	0.03

(1)	(2)
1536	0.03
1540	0.05
1541	0.07
1587	0.08
1583	0.06
1589	0.01
1597	0.09
1598	0.06
1618	0.05
1619	0.02
1620	0.07
1627	0.10
1628	0.01
1629	0.20
1630	0.01
1643	0.03
1644	0.02
1834	0.04
1835/1	0.04
1835/2	0.04
1876	0.04
1882	0.02
1885	0.23
1888	0.03
1884	0.01
1886	0.06
1915	0.02
1911	0.01
1913	0.02
1914	0.13
1917	0.50
2875	0.02
2876	0.02
2877	0.05
2880	0.05
2936	0.07
2937	0.03
2939	0.09
2940	0.01
2974	0.02
2975	0.04
2977	0.03
2978	0.04
3048	0.07
3049	0.08
2879	0.08
3053	0.03
3055	0.02
3054	0.04
3056	0.05
3080	0.05
3081	0.07
3083	0.05
3085	0.01
3086	0.12
3148	0.22
3152	0.03
3153	0.01
3156	0.07
3157	0.04
3158	0.01
3163	0.07
3159	0.02
3160	0.04
3288	0.03
3289	0.03
3290	0.05
3291	0.03
3292	0.05
कुल रकबा निजी भूमि :	4.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 114-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—कल्याणपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.618 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हे. में) (2)
42	0.088
48/1क 48/1ख 48/2क 48/2ख 48/3/क 48/3ख 48/4	0.260
49	0.31
50	0.133
51	0.015
57/2 57/3 57/4 57/5 57/6	1.228
59	0.050
68/1 68/2 68/3 68/4	0.279
69	0.010
70/1	0.188
70/2	0.116
72/1 72/2 74/1 74/2	0.222

कुल रकबा निजी भूमि : 2.618

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 116-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—महुआडांड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.268 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हे. में) (2)
189/1 189/2 189/3 189/4	0.217
190	0.117

(1)	(2)
192	0.042
195	0.010
196	0.024
197	0.083
202	0.022
203/1, 203/2	0.058
204	0.055
208	0.057
237	0.330
273	0.205
229	0.023
226/1, 226/2, 226/3, 226/4	0.215
209/1, 209/2	0.138
217/1, 217/2, 217/3	0.031
215	0.017
249	0.249
274	0.084
272	0.175
271	0.128
287	0.187
288	0.254
290	0.180
291	0.020
302/1, 302/2	0.294
304	0.053
कुल रकबा निजी भूमि	: 3.268

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 117-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—रामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.904 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
307	0.177
309	0.315
312	0.052
313	0.067
1063	0.209
1066	0.106
1067	0.118
1075	0.040
1091/1, 1091/2	0.105
1092/1, 1092/2	0.081
1099	0.073
1100	0.012
1102	0.067
1103	0.077
1104	0.042
1116/1, 1116/2	0.076
1124	0.084
1125	0.010
1126	0.094
1127	0.081
1176	0.073

(1)	(2)
1185	0.407
1187	0.070
1188/1	0.102
1188/2	
1189	0.115
1272	0.081
1274	0.090
1275	0.081
1276	0.008
1277	0.188
1278	0.063
1279	0.060
1280	0.131
1281	0.087
1282	0.014
1288	0.126
1289/1	0.216
1289/2	
1290	0.029
1292	0.042
1293	0.035
1299	0.013
1301	0.107
1302	0.038
1310	0.048
1314	0.083
1315	0.075
1318	0.066
1319	0.074
1326	0.008
1327	0.335
1329	0.043
1347	0.123
1057/1	0.436
1057/2	1.680
1271/1	0.014
1271/2	0.850
1271/3	0.850
1271/4	0.790
1316/1	0.132
1316/2	0.070
1348/1	0.475
1348/2	0.690
कुल रकबा निजी भूमि :	10.904

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 119-अ-82- वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—सिरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.041 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
315	0.030
419	0.006
420	0.195
421	0.215
422	0.089
423	0.074
424/1	0.020
609	0.246

(1)	(2)
613	0.168
614	0.066
673	0.019
674	0.014
675	0.247
677	0.165
679	0.005
680	0.244
684	0.099
686	0.50
2720	0.71
2722	0.366
2740	0.300
2741	0.016
2762	0.394
2804	0.177
2806	0.027
2870	0.10
2873	0.026
2821/1 2821/2	0.314
2874/1 2874/2	0.511
314/1 314/2	0.224
424/2	0.20
425/1/1 425/1/2 425/2	0.320
678/1	0.094
687/1 687/2	0.218
कुल रकबा निजी भूमि :	5.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 127-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—हिनौती

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.314 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
266	0.096
267	0.083
268	0.040
269	0.066
275	0.210
276	0.018
278	0.112
314	0.207
365	0.061
368	0.102
369	0.052
375	0.111
376	0.007
377	0.192
418	0.017
419	0.070
421	0.150
425	0.165
427	0.093
428	0.044
451	0.041
468	0.108
471	0.113
588	0.080
590	0.002

(1)	(2)
591/1	
591/2	0.085
591/3	
593	0.011
595	0.037
598	0.082
599	0.010
637	0.029
638	0.003
655	0.014
656	0.058
658	0.019
1172	0.197
1173	0.051
1174	0.046
1176	0.009
1182	0.210
1184	0.130
1185	0.041
1194	0.024
1195	0.090
1196	0.004
1224	0.198
1225	0.081
1226	0.017
1267	0.022
1268	0.141
1273	0.227
1274	0.009
1275	0.120
1276	0.104
1277	0.004
1278	0.112
1279	0.021
1652	0.022
1654	0.152
1655	0.053
1706	0.225
1707	0.103
1710	0.126
1711	0.012
1735	0.259
1745	0.137
1775	0.099
1786	0.093
1787	0.043
1789/2	
1791	0.046
1166/1	0.108
1166/2	
1191/1	0.208
1191/2	
1269/1	0.126
1269/2	
251/1	0.353
251/2	
316/1	
316/2	
316/3	
316/4	0.049
316/5	
316/6	
316/7	
316/8	
372/1	0.112
372/2	
426/1	
426/2	0.141
426/3	
469/1	0.063
469/2	
589/1 अ	0.102
589/1 ब	
589/2	
594/1	0.062
594/2	
597/1	0.030
597/2	
657/1	0.144
657/2	

कुल रकबा निजी भूमि : 7.314

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं—मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 130-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—खिरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.895 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/1	0.500
3/2	0.400
5	0.210
6	0.250
7/1	0.510
7/2	0.500
8/1	0.040
8/2	0.090
9	0.067
10/1	0.223
10/2	0.223
10/3	0.223
12	0.352
12/1	0.220
12/2	0.300
13	1.100
14	0.330
15	0.330
16	0.880
17	0.850
18	0.040
19	0.680
20	0.230
21	0.280
22/1	0.140
22/2	0.150
23	0.280
24	0.150
25	0.130
26	0.150
27	0.290
30	0.310
31	0.130
32	0.230
33/1	0.040
33/2	0.040
34	0.090
35/1	0.170
35/2	0.430
39	0.870
40/1	0.290
40/2	0.300
40/3	0.290
41	0.080
42	0.120
44/1	0.810
44/2	0.820
46/1	0.980
46/2	0.980
47	0.721
49	0.666
50	0.410
कुल रकबा निजी भूमि	: 18.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 137-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—कटरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.868 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
246	0.023
247	0.010
248	0.202
255	0.007
264	0.084
265	0.057
267	0.029
269	0.001
289	0.021
290	0.036
296	0.009
300	0.560
302	0.004
309	0.006
312	0.013
314	0.050
315	0.027
318	0.015
319	0.048
320	0.019
345	0.002
346	0.024
347	0.042
348	0.012
291/1	0.00
291/2	0.00
291/3	0.00
292/1	0.00
292/2	0.00
292/3	0.00
301/1	0.00
301/2	0.00
312	0.00
349	0.015
350	0.033
351	0.008
371	0.063
372	0.030
405	0.018
408	0.006
409	0.030
410	0.038
411	0.011
413	0.057
414	0.044
415	0.002
416	0.036
417	0.046
418	0.027
419	0.009
428	0.012
429	0.007
430	0.053
433/1	0.011
434	0.011
434	0.100
कुल रकबा निजी भूमि	: 1.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—भितरीमुटमुरू जलाशय योजना, योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 139-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—नयागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.568 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
357	0.100
358	0.043

(1)	(2)
359	0.032
362	0.009
351	0.003
360	0.017
361	0.016
397	0.027
396	0.036
400	0.001
395	0.024
401	0.005
417	0.019
394	0.005
418	0.023
416	0.000
415	0.020
419	0.010
430	0.027
429	0.019
431	0.027
435	0.003
432	0.024
433	0.002
434	0.050
443	0.011
796/1	0.020
796/2	0.030
583	0.013
582	0.086
581	0.037
580	0.032
579	0.016
774	0.041
800	0.059
801	0.029
799	0.023
802	0.075
798	0.007
797	0.022
795	0.006
809	0.005
793	0.046
794	0.005
792	0.024
791	0.046
790	0.081
836	0.038
834	0.002
835	0.021
838	0.013
881	0.023
880	0.047
884/1	0.019
884/2	0.110
879	0.010
885	0.660
878/1	0.002
878/2	0.150
886	0.025
887	0.040
962	0.018
963	0.000
960	0.019
961	0.047
975	0.003
976	0.024
978	0.015
979	0.008
977	0.042
987	0.007
985	0.109
986	0.008
1001/1	0.037
1001/2	0.080
1000	0.007
998	0.002
999/1	0.065
999/2	0.240
1008	0.024
1045	0.006
1009	0.015
1044	0.011
1010	0.020
1011	0.033
1012/1	0.113
1012/2	0.040
1021	0.014
1023	0.043
1022	0.005
1024	0.096
1182/1022	0.001
कुल रकबा निजी भूमि :	3.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—भितरीमुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 140-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—पटना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.553 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3150	0.096
3148/1	0.203
2136	0.132
2135	0.003
2137	0.080
2139	0.050
2138	0.059
2131/3331	0.005
2130	0.019
2149	0.024
2148	0.003
2129	0.029
1886	0.031
1885	0.005
2128	0.015
2127	0.015
1887	0.057
1887	0.013
1880	0.014
1872	0.007
1881	0.017
1878	0.032
1884	0.020
1883	0.019
3148/13	0.420
3148/1 ख	0.400
3148/2	0.800
1888	0.006
1889	0.022
1882	0.036
1868	0.014
1864	0.093
1863	0.092
1862	0.006
1857	0.092
1856	0.029
1810	0.005
1811	0.035
1813	0.034
1812	0.025
1808	0.002
1816	0.033
1806	0.008
1817	0.034
1805	0.040
1822	0.002
1804	0.044
1790	0.002
1791	0.007
1792	0.018
1793	0.016
1803	0.008
1788	0.012
1794	0.027
1786	0.025
1795	0.002
1785	0.023
1787	0.010
1784	0.003
1780	0.023
1781	0.046
1782	0.007
1770	0.025
1774	0.004
1771	0.020
1769	0.026
1768	0.024
1767	0.005
कुल रकबा निजी भूमि	: 3.553

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—भितरीमुटमुरू जलाशय योजना, योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 143-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—जसवन्तपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—216.723 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
503	0.199
505	1.640
509/1	0.507
509/2	1.200
511/2	1.094
511/3	0.800
512	1.730
513	1.220
514	1.530
515	1.500
517	0.580
518/1	0.500
518/2	0.500
521	2.000
523	1.062
524	1.000
526	1.166
527	0.161
528	1.296
529/1	1.150
529/2	0.450
531/1	0.800
531/2	0.400
532	0.795
533	0.033
534	1.217
535/2	0.400
536	2.000
537	1.262
538	0.005
539	1.168
551/1	0.810
551/2	0.150
559	0.200
560	0.426
561	0.151
562	0.087
563	0.054
566	0.187
567	0.046
568	0.230
569	2.000
573	2.000
574	0.650
575	1.500
576	2.000
577	1.960
578	0.950
581	1.400
582	1.920
583	2.000
584	1.850
585	0.800
586	0.710
587	1.000
588	0.200
589	1.800
590	1.400
591	0.350
593	0.900
595	1.000
596	0.173
597	0.806
598	1.200
599	0.542
600	1.400
601/1	0.198
601/2	0.198
602	0.800
606	0.222
607	0.357
608	0.027
613	0.414
614	0.663
617	0.229

(1)	(2)
618	0.273
619	0.617
620	1.835
621	0.250
622	1.000
623	0.800
624	1.000
625	0.950
626	2.000
627	1.500
628	1.500
629	1.000
630	0.480
631	0.770
632	0.780
634	0.700
635	1.200
636	0.350
637	0.200
638	1.000
640	1.700
641	0.800
642	0.320
643	0.800
644	1.000
645	1.600
646	2.000
647	0.580
648	0.300
649	1.420
650	0.700
651	0.750
652	1.000
653	1.020
654	0.220
655	0.520
656	1.200
657/1	0.881
657/2	1.600
676	1.500
685/1	0.440
685/2	0.300
686	1.200
687	0.800
688	0.900
689	0.021

(1)	(2)
690	0.314
691	0.750
692	0.172
693	0.411
695	1.000
696	0.100
697	1.650
698	2.055
699	2.000
700	2.000
701	2.000
702	1.000
703	1.000
704	1.000
705	1.600
707	1.700
709	0.550
710	0.480
711	1.360
712	1.300
713	1.500
715/1	0.600
715/2	0.610
716	0.300
717	1.700
718	3.610
719	0.560
720	1.050
721	0.820
722	1.820
723	0.600
724	1.450
725	1.420
726/1	0.600
726/2	0.600
726/3	0.600
728	1.500
729	1.300
730	1.000
733	1.460
735	0.470
739	1.550
740	0.800
742/1	1.300
742/2	0.400
743/1	0.950

(1)	(2)
743/2	0.600
745	2.000
746	3.350
747	1.950
748	0.800
749	0.880
750	1.500
751	1.250
752	1.400
754	1.800
755	0.500
756	2.000
757	2.000
758	1.400
759	2.000
761	2.000
762	0.210
764	0.510
765	0.220
766	0.610
767	1.295
768	0.330
770	0.368
771	1.020
772	0.260
773	0.250
774	0.313
775	0.535
776	0.797
777	0.820
779	0.610
782	0.300
783	1.300
784	0.699
785	0.930
788	0.850
807	0.680
808	2.000
809	2.850
811	1.000
812	1.690
813/2	0.400
814	0.865
817/1	2.668
817/2	0.500
818	1.660
819	0.451
839	1.396
840	2.000
843	0.472
848	1.500
847	0.820
कुल रकबा निजी भूमि	: 216.723

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 144-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—महगवांखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.015 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
369	0.007
392	0.029
393	0.067
409	0.073
410	0.072
415	0.388
416	0.011
417	0.361
418	0.007
कुल रकबा निजी भूमि	: 1.015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—जसवंतपुरा जलाशय योजना, योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 147-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—बिक्रमपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.639 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
9	0.049
17	0.484
26	0.400
40	0.220
51	0.057
52	0.874
133	0.850
134	0.020
135	0.680
136	0.320
137	0.080
138	0.050
139	0.327
140	0.195
141	0.866
142	0.764
143	0.227
145	0.120
146	0.120
147	0.180
148	0.104
149	0.150
150	0.512
156	0.014
157	1.356
159	0.620
कुल रकबा निजी भूमि	: 9.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—जसवंतपुरा जलाशय योजना, योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 161-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—भुजबई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.27 हेक्टेयर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
251	1.23
254	0.07
252	1.00
253/1	2.00
253/2	0.84
255	0.08
207	0.44
208	0.16
218	0.20
219	0.25
कुल रकबा निजी भूमि	: 6.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—रूँझ मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

क्र. 6898-जि.-भू-अर्जन-2011 सिवनी, दिनांक 7 सितम्बर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक 1) की धारा 41 के अन्तर्गत

अनुबंध-पत्र

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमिटेड, ग्राम बरेला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिटर्ड है. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कम्पनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवादी और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्त्यार—श्री अरविंद नाथ मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक जो कि मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमिटेड, ग्राम बरेला-गोरखपुर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, (कम्पनी का स्थायी पता 7वीं मंजिल, मेकमेट हाऊस, 10बी, ओ.सी. गांगुली सारनी, कोलकाता) के मध्य आज दिनांक 3 सितम्बर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कम्पनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) मेसर्स झाबुआ पॉवर प्लांट के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम गोरखपुर, प.ह.नं. 4/59, तहसील घंसौर, जिला सिवनी की निजी अनुसूचित जनजाति एवं सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय, सिवनी की कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 4 कुल क्षेत्रफल 12.66 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम गोरखपुर

अनु.क्र.	भूमि स्वामी/पिता का नाम	जाति	खसरा नम्बर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नेतराम पिता सुमिरन गोंड	गोंड	311/1	1.83	-
2	अतुल सिंह पिता नेतराम	गोंड	311/2	5.60	कुआं पक्का—1
3	राधा पिता हुब्बीलाल, छब्बीलाल पिता सुमिरन.	गोंड	314	3.15	कुआं पक्का—1
4	सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय, सिवनी.	-	276	2.08	-
			योग . .	12.66	

2. राज्य शासन के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र का विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कम्पनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 2504/1820/2011/सात/2 ए, भोपाल दिनांक 13-6-2011 के निर्देशानुसार भू-अर्जन की शर्त का इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.

4. कम्पनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कम्पनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि :—

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्ति व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट—1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कम्पनी को प्रदान करेगा—

(i) झाबुआ पॉवर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम गोरखपुर की निजी अनुसूचित जनजाति एवं सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय, सिवनी की कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर, दिनांक 24-1-1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील घंसौर, जिला सिवनी के ग्राम गोरखपुर की निजी अनुसूचित जनजाति एवं सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय, सिवनी की कृषि भूमि क्षेत्रफल 12.66 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन, अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी:—

1. कम्पनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने से प्राथमिकता देगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

3. संबंधित कम्पनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

5. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, ,इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कम्पनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कम्पनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जावे की यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है. तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर ग्राम सभा के सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्यूरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जानी होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1, राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री ए. एन. मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक, झाबुआ पावर लिमिटेड, जिला सिवनी द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम)

आदेशानुसार

साक्षी क्र. 1

हस्ता./-

नाम: **रामदयाल भलावी**

पिता : श्री सुमिरनलाल भलावी

पता : ग्राम-गोरखपुर, पो. अतरिया, तह. घंसौर,
जिला सिवनी (म.प्र.).

साक्षी क्र. 2

हस्ता./-

नाम : **चन्द्रिका प्रसाद कुशवाहा**

पिता : श्री खिमोलाल कुशवाहा

पता : ग्राम-गोरखपुर, पो. अतरिया, तह. घंसौर,
जिला सिवनी (म.प्र.).

पक्ष क्र. 1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

(अजीत कुमार)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

जिला सिवनी (म.प्र.)

हस्ता./-

(ए. एन. मिश्रा)

मुख्य महाप्रबंधक,

मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमि.,

जिला सिवनी (म.प्र.).